धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात-जनवरी, फरवरी, मार्च, 2024

स्थापना आदेश,परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल -100 [स्थापना आदेश-सं.1-98, *11 जारी नहीं किया,* (कुल 97),1 शुद्धिपत्र, 2 स्थापना परिपत्र

TAV- 66
RCR- 24
CTB - 4
SCM - 5
100

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं-01/2024	05.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
2	आदेश सं-02/2024	08.01.2024	अनुवाद किया गया	CTB
3	आदेश सं-03/2024	08.01.2024	अनुवाद किया गया	TAV
4	आदेश सं-04/2024	09.01.2024	अनुवाद किया गया	TAV
5	आदेश सं-05/2024	15.01.2024	अनुवाद किया गया	TAV
6	आदेश सं-06/2024	15.01.2024	अनुवाद किया गया	TAV
7	आदेश सं-07/2024	10.01.2024	अनुवाद किया गया	CTB
8	आदेश सं-08/2024	16.01.2024	अनुवाद किया गया	TAV
9	आदेश सं-09/2024	16.01.2024	अनुवाद किया गया	TAV
10	आदेश सं-10/2024	19.01.2023	अनुवाद किया गया	TAV
	आदेश सं-11/2024		जारी नहीं किया	
11	आदेश सं-12/2024	23.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
12	आदेश सं-13/2024	23.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
13	आदेश सं-14/2024	23.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
14	आदेश सं-15/2024	24.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
15	आदेश सं-16/2024	24.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
16	आदेश सं-17/2024	24.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
17	आदेश सं-18/2024	24.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
18	आदेश सं-19/2024	24.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
19	आदेश सं-20/2024	24.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
20	आदेश सं-21/2024	24.01.2024	अनुवाद किया गया	RCR
21	आदेश सं-22/2024	07.02.2024	अनुवाद किया गया	TAV
22	आदेश सं-23/2024	01.02.2024	अनुवाद किया गया	SCM
23	आदेश सं-24/2024	06.02.2024	अनुवाद किया गया	SCM
24	आदेश सं-25/2024	06.02.2024	अनुवाद किया गया	SCM
25	आदेश सं-26/2024	06.02.2024	अनुवाद किया गया	RCR
26	आदेश सं-27/2024	14.02.2024	अनुवाद किया गया	RCR
27	आदेश सं-28/2024	15.02.2024	अनुवाद किया गया	TAV
28	आदेश सं-29/2024	14.02.2024	अनुवाद किया गया	RCR
29	आदेश सं-30/2024	16.02.2024	अनुवाद किया गया	TAV
30	आदेश सं-31/2024	16.02.2024	अनुवाद किया गया	TAV
31	आदेश सं-32/2024	16.02.2024	अनुवाद किया गया	TAV
32	आदेश सं-33/2024	23.02.2024	अनुवाद किया गया	SCM
33	आदेश सं-34/2024	16.02.2024	अनुवाद किया गया	SCM
34	आदेश सं-35/2024	22.02.2024	अनुवाद किया गया	RCR
35	आदेश सं-36/2024	16.02.2024	अनुवाद किया गया	RCR
36	आदेश सं-37/2024	23.02.2024	अनुवाद किया गया	SCM
37	आदेश सं-38/2024	19.02.2024	अनुवाद किया गया	RCR
38	आदेश सं-39/2024	22.02.2024	अनुवाद किया गया	TAV
39	आदेश सं-40/2024	21.02.2024	अनुवाद किया गया	RCR
40	आदेश सं-41/2024	01.03.2024	अनुवाद किया गया	RCR
41	आदेश सं-42/2024	01.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
42	आदेश सं-43/2024	05.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
43	आदेश सं-44/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
44	आदेश सं-45/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
45	आदेश सं-46/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
46	आदेश सं-47/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
47	आदेश सं-48/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
48	आदेश सं-49/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
49	आदेश सं-50/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
50	आदेश सं-51/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
51	आदेश सं-52/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
52	आदेश सं-53/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV
53	आदेश सं-54/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TAV

54	आदेश सं-55/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
55	आदेश सं-56/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
56	आदेश सं-57/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
57	आदेश सं-58/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
58	आदेश सं-59/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
59	आदेश सं-60/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
60	आदेश सं-61/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
61	आदेश सं-62/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
62	आदेश सं-63/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
63	आदेश सं-64/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
64	आदेश सं-65/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
65	आदेश सं-66/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
66	आदेश सं-67/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
67	आदेश सं-68/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
68	आदेश सं-69/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
69	आदेश सं-70/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
70	आदेश सं-71/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
71	आदेश सं-72/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
72	आदेश सं-73/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
73	आदेश सं-74/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
74	आदेश सं-75/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
75	आदेश सं-76/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
76	आदेश सं-77/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
77	आदेश सं-78/2024	06.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
78	आदेश सं-79/2024	05.03.2024	अनुवाद किया गया	CTB
79	आदेश सं-80/2024	05.03.2024	अनुवाद किया गया	RCR
80	आदेश सं-81/2024	05.03.2024	अनुवाद किया गया	RCR
81	आदेश सं-82/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
82	आदेश सं-83/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
83	आदेश सं-84/2024	11.03.2024	अनुवाद किया गया	RCR
84	आदेश सं-85/2024	15.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
85	आदेश सं-86/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
86	आदेश सं-87/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
87	आदेश सं-88/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
88	आदेश सं-89/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
89	आदेश सं-90/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
90	आदेश सं.91/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
91	आदेश सं-92/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
92	आदेश सं-.93/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
93	आदेश सं-94/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
94	आदेश सं-95/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
95	आदेश सं-96/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
96	आदेश सं-97/2024	26.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
97	आदेश सं-98/2024	21.03.2024	अनुवाद किया गया	TaV
98	आदेश सं- 29/2024 का परिशिष्ट	15.02.2024	अनुवाद किया गया	RCR

स्थापना परिपत्र

क्रम सं	स्थापना परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	ई -सेवानिधि	10.11.2024	अनुवाद किया गया	RCR
2	वि[illegible]ीय परीक्षा	17..11.2024	अनुवाद किया गया	CTB

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

आदेश सं.: 98/2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 85/2024 दिनांक 15.03.2024 जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	परमीत सिंह	14.07.1999	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि
2.	जिबिन पी वी	02.01.1996	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड मंडल
3.	शेखर यादव	01.07.1994	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	लेखा परीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि
4.	अंजना ए	24.02.1995	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	समीक्षा अनुभाग,मु.कोच्चि

2. अधिकारियों को दिनांक **22.03.2024** तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक **25.03.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

टी. जी. वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
3. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : .03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 97 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90744)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सी बीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री श्रीहरी के** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **12.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री श्रीहरी के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री श्रीहरी के** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री श्रीहरी के,
अप्पेट हाउस, पुलियाकोड डाक, कुयिमना, मलप्पुरम,
केरल, पिन - 673641

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : .03.2024

स्थापना आदेश सं.: 96 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90709)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री हिमांशु** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **11.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री हिमांशु को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री हिमांशु** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री हिमांशु,
सी -287/बी, गली नं.12, भजनपुरा, उत्तर पूर्व दिल्ली,
दिल्ली - 110053

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : .03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 95 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/93921)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री सम्या शित** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **11.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री सम्या शित को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री सम्या शित** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री सम्या शित,
इदगमहल्ला.नई फेमिन रोड, पुरुलिया डाक, पुलिस थाना एवं जिला,
पुरुलिया, पश्चिम बंगाल

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : .03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 94 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90700)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.अंजना ए** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **11.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

कु.अंजना ए को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **कु.अंजना ए** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)

आयुक्त

सेवा में,

कु.अंजना ए,
एचएन- अजिमंदिरम, पुत्तनकावु,
पूतोटा कॉलोनी, मनक्कुन्नम टाउन, उदया पुलिस थाना,
पूतोटा डाक, एर्णाकुलम जिला,केरल, पिनकोड - 682307

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : .03.2024

स्थापना आदेश सं.: 93 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90705)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु. दीपिका चौधरी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **11.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

कु. दीपिका चौधरी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **कु. दीपिका चौधरी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

कु. दीपिका चौधरी,
बज्रापुकुर गाँव, नया बाजार डाक, तपन पुलिस थाना,
दक्षिण दिनाजपुर जिला, 733142, पश्चिम बंगाल

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : .03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 92 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90697)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री निखिल वैभव** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **07.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री निखिल वैभव को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री निखिल वैभव** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री निखिल वैभव,
96, सुदर्शन प्लेस, विशाल नगर,
AIIMS, जानीपुर रोड, फुलवारी शरीफ,
पटना जिला, बिहार - 801505

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : .03.2024

स्थापना आदेश सं.: 91 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90720)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री शेखर यादव** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **07.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री शेखर यादव को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री शेखर यादव** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री शेखर यादव,
बम्होली गाँव, मोथ, झाँसी,
उत्तर प्रदेश, पिन -284303

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : .03.2024

स्थापना आदेश सं.: 90 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90683)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री आशीष कुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **07.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री आशीष कुमार को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री आशीष कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री आशीष कुमार,
सुपुत्र श्री जयन्ती प्रसाद,
द्वारिका पूरण कॉलोनी,
तुंडला, फिरोजाबाद जिला, पिन -283204,
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : .03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 89 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90717)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री मोहित कुमार** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **07.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री मोहित कुमार को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री मोहित कुमार** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री मोहित कुमार,
जी-512, पंजाबी कॉलोनी,नरेला दिल्ली -40,
शनि देव मंदिर के पास, पिन -110040

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : .03.2024

स्थापना आदेश सं.: 88 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90735)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री जिबिन पी वी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **07.03 .2024 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री जिबिन पी वी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री जिबिन पी वी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री जिबिन पी वी,
तायेवीटिल, पेरुम्बयशी,अरलम,
कण्णूर, केरल, पिन -670704

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : .03.2024

स्थापना आदेश सं.: 87 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90711)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित(विकलांग व्यक्ति -अन्य)** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री परमीत सिंह** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **06.03.2024 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री परमीत सिंह को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री परमीत सिंह** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री परमीत सिंह,
1/42, श्रद्धा पुरी, फेज -1, कांकेर खेरा,
मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250001

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : .03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 86 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90740)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री नंदु रामचंद्रन** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **06.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री नंदु रामचंद्रन को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री नंदु रामचंद्रन** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री नंदु रामचंद्रन,
मलयिलतडीक्काट्टु हाउस, पुलियन्नूर डाक,
तेक्कुम्मुरी, कोट्टयम,केरल, पिन -686573

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

आदेश सं.: 85/2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इसके साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	विनयकृष्णा के पी	23.07.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड़
2.	अजन्मा राणा	17.08.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
3.	शाहुल हमीद	03.01.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
4.	मुहम्मद नईम	15.08.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	सीमाशुल्क (निवारक)आयुक्तालय, कोचिन
5.	नंदु रामचंद्रन	21.09.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
6.	परमीत सिंह	14.07.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
7.	जिबिन पी वी	02.01.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
8.	मोहित कुमार	01.04.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
9.	आशीष कुमार	20.04.1995	नई भर्ती (सीजीएलई	सीमाशुल्क

			2023)	(निवारक)आयुक्तालय, कोचिन
10.	शेखर यादव	01.07.1994	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
11.	निखिल वैभव	24.06.1992	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
12.	दीपिका चौधरी	23.05.2002	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
13.	अंजना ए	24.02.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
14.	सम्या शित	24.10.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
15.	हिमांशु	02.10.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
16.	श्रीहरी के	12.12.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड़

2. अधिकारियों को दिनांक **18.03.2024** तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक **20.03.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

5. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है

टी. जी. वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा/ अपील
2. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, कोच्चि
3. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/ सहायक आयुक्त

4. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप/ सहायक आयुक्त
5. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता),कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
7. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

आदेश सं.: 84 /2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 80/2024 दिनांक 05.03.2024 जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	मेहता धवल रजनीकांत	02.08.1990	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	आरटीआई/प्रशिक्षण/बकाया अनुभाग,मु.कोच्चि

2. अधिकारी को दिनांक **07.03.2024** तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है।
3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |
4. दिनांक **11.03.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |
5. यह आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त(का व सत.)

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति: 1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
3. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : .03.2024

स्थापना आदेश सं.: 83 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90719)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री मुहम्मद नईम** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **05.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री मुहम्मद नईम को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री मुहम्मद नईम** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री मुहम्मद नईम,
वार्ड नं.9, मोहल्ला सैफियाँ, मीठा कुवा के पास,
दसना, ग़ाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201302

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : .03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 82 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90737)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री शाहुल हमीद** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **05.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री शाहुल हमीद को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री शाहुल हमीद** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री शाहुल हमीद,
बिस्मी मंजिल,101 जंक्शन,
हाउस नं.491, अतिरंपुया डाक, कोट्टयम, पिन - 686562

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **दिनांक: 05.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 81 / 2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/90672)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 09.02.2024 की स्वीकृति पर, **ईडब्लियूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2021 - एडी-III.बी दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार **श्री अभिशेक पाण्डेय** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **05.03.2023 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री अभिशेक पाण्डेय** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अभिशेक पाण्डेय,
सुपुत्र सिकंदर पाण्डेय,
गाँव -रानीपुर कयस्थ ,
कड़ीपुर डाक, सुल्तानपुर,
उत्तर प्रदेश - 228145

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

आदेश सं.: 80 /2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश संख्या 42/2024 दिनांक 01.03.2024 जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	साइमण पीटर	22.04.2000	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	चालक्कुडी रेंज
2.	विष्णु एम आर	26.10.2001	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	आलुवा रेंज
3.	जूलिया मैथ्यू	14.01.1999	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एलूर रेंज
4.	अनुराग विश्वकर्मा	25.06.1991	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	सिस्टम्स,मु.कोच्चि
5.	रचना के	09.10.2001	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 2
6.	मनु कृष्णन एम	22.09.2001	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	परवूर रेंज
7.	निर्मल जोस	16.05.1995	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड मंडल
8.	शाहिल	16.02.1996	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड रेंज 4
9.	अनिता कुमारी	13.01.2001	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 5
10.	निशाघ एम टी	12.11.1995	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	चालक्कुडी मंडल

11.	मेहता धवल रजनीकांत	02.08.1990	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	बकाया अनुभाग

2. अधिकारियों को दिनांक **07.03.2024** तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक **11.03.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त(का व सत.)

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
4. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt दिनांक :04.03.2024

आदेश सं.:79/2024

विषय : कार्यकारी सहायक के ग्रेड में तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

कार्यकारी सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	निकिता थॉमस	25.09.2000	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	स्थापना अनुभाग,मु.कोच्चि
2.	अमरनाथ ए आर	24.03.1997	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	अपवंचनरोधी अनुभाग,मु.कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि//कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ हिंदी इकाई, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 78 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90677)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री योगेश कुमावत** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **19.02 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री योगेश कुमावत को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री योगेश कुमावत** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री योगेश कुमावत,
वार्ड नं.08, मोंदा खुर्द गाँव डाक घर,
नीम का, थाना -सिकर,
332711, राजस्थान

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 77 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90733)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री विष्णु एम आर** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **12.02 .2024 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री विष्णु एम आर को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री विष्णु एम आर** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री विष्णु एम आर,
मेलूट हाउस, कांजिराशेरी,
इरुनिलमकोड डाक, मुल्लूरकरा, त्रिश्शूर,
केरल, पिन - 680583

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 76 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90730)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री विनयकृष्णा के पी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **01.03 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री विनयकृष्णा के पी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री विनयकृष्णा के पी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री विनयकृष्णा के पी,
कोट्टारत परम्बिल हाउस,
एडयूर डाक, पूक्कात्तिरी,
मलप्पुरम, केरल, पिन - 676552

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 75 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90736)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु. वीणा ए वेणु** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **16.02 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

कु. वीणा ए वेणु को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु. वीणा ए वेणु** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

कु. वीणा ए वेणु,
टीसी 41/1931, एमआरए -80, मणाकोड़ डाक,
तिरुवनंतपुरम -9

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 74 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90712)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री स्वतंत्र कुमार सिंह** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **20.02 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री स्वतंत्र कुमार सिंह को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री स्वतंत्र कुमार सिंह** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री स्वतंत्र कुमार सिंह,
बी -2 1004, भारत सिटी, टीला मोर,
इन्द्रप्रस्थ योजना लोनी, घाज़ियाबाद,
उत्तर प्रदेश - 201102

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 73 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90676)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री सीताराम यादव** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **28.02.2024 (अपराहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री सीताराम यादव को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री सीताराम यादव** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री सीताराम यादव,
गाँव -नंगल तुलसीदास, भाणपुर कलन डाक,
तहसील - जमवारामगढ़, जिला - जयपुर,
302028, राजस्थान

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : 06.03.2024

स्थापना आदेश सं.: 72 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90750)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री साइमण पीटर** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **12.02.2024 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री साइमण पीटर को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री साइमण पीटर** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री साइमण पीटर,
आलेंगाडेन हाउस, पुलियाणिपरम्बु
पश्चिम चालक्कुडी, त्रिश्शूर,केरल, पिन -680307

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 71 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90710)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री शकील अहमद** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **22.02.2024 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री शकील अहमद को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री शकील अहमद** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री शकील अहमद,
वार्ड नं. -04, चिकित्सालय, केलाखेरा,
जिला - उधम सिंह नगर,
उत्तराखंड -263150

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 70 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90738)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री शाहिल** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **19.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री शाहिल को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री शाहिल** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री शाहिल,
सगोरपुर गाँव, सक्री थाना,
मधुबनी जिला, बिहार, पिन -847239

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 69 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90760)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री साहिल कुमार गुप्ता** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **21.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री साहिल कुमार गुप्ता को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री साहिल कुमार गुप्ता** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री साहिल कुमार गुप्ता,
प्लाट नं.46, पॉकेट -ए, फेज -2,
जे जे कॉलोनी, मदनपुर, खादर,
जिला -दक्षिण पूर्वी दिल्ली -110076

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 68 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90680)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री रवि यादव** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **19.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री रवि यादव को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री रवि यादव** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री रवि यादव,
गाँव -शिन्ली, बिहार डाक,
थाना -पाटन, जिला -सीकर,
राजस्थान - 332718

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 67 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90701)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री राहुल** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **20.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री राहुल को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री राहुल** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री राहुल,
हाउस नं. 171, ब्लाक -बी, दबुआ कॉलोनी,
एनआईटी फरीदाबाद, पुलिस थाना -दबुआ कॉलोनी,
पुलिस थाना -फरीदाबाद, हरयाणा - 121001

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 66 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90753)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु. रचना के** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **14.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

कु. रचना के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु. रचना के** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी. वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

कु. रचना के,

एमआईजी-74, सेक्टर-2, शंकर नगर,
रायपुर, सीजी, 492004, सिविल लाइन्स पुलिस थाना,
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 65 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90728)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री प्रवीण कुमार टी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **14.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री प्रवीण कुमार टी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री प्रवीण कुमार टी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री प्रवीण कुमार टी,
35 -सी, टाइप 3 क्वाटर्स, ब्लाक 12, नेयवेली,
पिन - 607803

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : 06.03.2024

स्थापना आदेश सं.: 64 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90684)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्लियूएस)** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री प्रभात कुमार पाण्डेय** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **20.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री प्रभात कुमार पाण्डेय को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री प्रभात कुमार पाण्डेय** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री प्रभात कुमार पाण्डेय,
गाँव - लोआलचतपुर, महारुवागोला,
अम्बेडकरनगर, पिन - 224231 उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 63 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90751)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री निसाघ एम टी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **22.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री निसाघ एम टी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री निसाघ एम टी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री निसाघ एम टी,
मालीपरम्बिल हाउस, माली टेम्पल रोड,
वल्लचिरा डाक, त्रिश्शूर,केरल, पिन - 680562

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 62 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90749)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु. निर्मल जोस** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **19.02.2024 (पूर्वाहन)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

कु. निर्मल जोस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु. निर्मल जोस** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी. वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

कु. निर्मल जोस,
तोडुपुयातोटत्तिल हाउस, नजरेत हिल डाक, कुरविलन्गाड,
कोट्टयम, केरल - 686633

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 61 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90678)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री नन्दकिशोर प्रजापत** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **14.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री नन्दकिशोर प्रजापत को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री नन्दकिशोर प्रजापत** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री नन्दकिशोर प्रजापत,
सलासर रोड, कृषि मंडी के सामने,
सुजनगढ़, थाना सुजनगढ़, थी -सुजनगढ़, जिला -चुरु,
331507, राजस्थान

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 60 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90746)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री मनु कृष्णन एम** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **19.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री मनु कृष्णन एम को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री मनु कृष्णन एम** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री मनु कृष्णन एम,
माधवम, पुन्नप्रा डाक,
आलप्पुया, पिन - 688004

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 59 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90731)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री किरण डी एस** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **12.02.2024 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री किरण डी एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री किरण डी एस** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री किरण डी एस,
किरनम हाउस, कोनोट्ट डाक,
कुन्नमंगलम, कोयिक्कोड, केरल, पिन - 673571

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 58 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90702)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.करिश्मा कुमारी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **16.02.2024 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

कु.करिश्मा कुमारी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **कु.करिश्मा कुमारी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

कु.करिश्मा कुमारी,
विश्वकर्मा नगर, गंजपर, बरबीघा,
जिला - शेखपुरा, थाना - बरबीघा, पिन - 811101,बिहार

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. /790 दिनांक : 06.03.2024

स्थापना आदेश सं.: 57 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90721)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री कमलेश कुमार यादव** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **19.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री कमलेश कुमार यादव को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री कमलेश कुमार यादव** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री कमलेश कुमार यादव,
गाँव -चिमनपुरा, तहसील -शानपुरा,
जिला -जयपुर, राजस्थान, पिन -303103

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 56 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90757)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.जूलिया मैथ्यू** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **14.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

कु.जूलिया मैथ्यू को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **कु.जूलिया मैथ्यू** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

कु.जूलिया मैथ्यू,
पडिन्जाकरा हाउस, मरियिल पाइप लाइन रोड,
अशोकपुरम, आलुवा डाक, एर्णाकुलम, पिन - 683101

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 55 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90732)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री जसीम मुहम्मद के** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **16.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री जसीम मुहम्मद के को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री जसीम मुहम्मद के** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री जसीम मुहम्मद के,
कण्णचेत हाउस, हाउस नं.5, मंगडा, पल्लिपुरम डाक,
मलप्पुरम, केरल, पिन - 679324

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 54 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90742)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री हरिनंद ए** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **12.02.2024 (अपराह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री हरिनंद ए को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री हरिनंद ए** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री हरिनंद ए,
नंदनम चेवायूए, पुलिक्कल डाक,चेरुकावु गाँव,
मलप्पुरम, केरल, पिन -673637

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 53 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90739)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित ।

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री गोविन्द अनिल** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **16.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री गोविन्द अनिल को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री गोविन्द अनिल** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री गोविन्द अनिल,
III /382, इन्दीवरम, पप्पनकाडु, पोल्पुल्ली डाक,
पालक्काड, केरल, पिन - 678552

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : 06.03.2024

स्थापना आदेश सं.: 52 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90713)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री गौरव यादव** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **19.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री गौरव यादव को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री गौरव यादव** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री गौरव यादव,
हाउस नं -882. सेक्टर -3, गाँव डाक घर -भरावास,
रेवारी, जिला -रेवारी, हरयाणा -123401

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. दिनांक : 06.03.2024

स्थापना आदेश सं.: 51 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90727)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री देवेश कुमार सिंह** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **23.02 .2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री देवेश कुमार सिंह को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री देवेश कुमार सिंह** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री देवेश कुमार सिंह,
सी26, प्रतीक एन्क्लेव,
कमला नगर, आगरा,
उत्तर प्रदेश, पिन - 282005

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/49/2023-Estt **दिनांक: 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 50 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90691)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **ईडब्लियूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग)** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अवि गौतम** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **19.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अवि गौतम को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अवि गौतम** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अवि गौतम,
नगला बिरजी, डाक-बरहन,
तहसील -एत्मादपुर, जिला - आगरा,
पिन - 283201, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 49 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90723)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अनुराग विश्वकर्मा** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **14.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अनुराग विश्वकर्मा को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अनुराग विश्वकर्मा** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अनुराग विश्वकर्मा,
शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, सिनेमा रोड,
गाँव -हलुदबनी, थाना -परसुडीह, जिला - पुर्वी सिंहभूम,
जमशेदपुर (टाटा नगर), 831002 झारखण्ड

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 48 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90734)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अन्षाद जे** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **14.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अन्षाद जे को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री अन्षाद जे** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अन्षाद जे,
जे एन निवास, वेंगोड, कुडवूर डाक,
गाँव -कीय तोन्नक्कल, तिरुवनंतपुरम, केरल,
पिनकोड - 695313

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 47 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90679)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अन्य पिछड़ा वर्ग** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **कु.अनिता कुमारी** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **19.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

कु.अनिता कुमारी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **कु.अनिता कुमारी** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)

आयुक्त

सेवा में,

कु.अनिता कुमारी,
सांखन ताल गांव का डाकघर, तहसील -राजगढ़,
जिला -चुरु, थाना -हमीरवास, पिनकोड - 331303,
राजस्थान

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 46 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90681)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्लियूएस)** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग- सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अजन्मा राणा** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **04.03.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अजन्मा राणा को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अजन्मा राणा** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा

के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी. वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अजन्मा राणा,
एनएच -81, नगला दलसहाय नाहछानी,
जिला -आगरा, पिन - 283122, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 45 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90743)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अद्वैत एस** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **13.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अद्वैत एस को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अद्वैत एस** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अद्वैत एस,

18/119/1ए सौपर्निका, अशोक नगर, कल्लियनकौड़,

चुंकनकड़ाई, आलूर, कन्याकुमारी, तमिल नाडु, पिन -629003

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **दिनांक : 06.03.2024**

स्थापना आदेश सं.: 44 / 2024

(तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/निरीक्षक/90729)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2023' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 12.02.2024 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 09.02.2024 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनारक्षित** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12025/2/2023-Ad.III.B अनुभाग-सीबीईसी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री अभेद एम ए** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900-रु.1,42,400) में दिनांक **28.02.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री अभेद एम ए को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में **श्री अभेद एम ए** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

श्री अभेद एम ए,
कोम्पारा पुत्तेन वीडु, ओडनवट्टम डाक,
कोल्लम,केरल, पिन -691512

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(3)/4/2022-ESTT **दिनांक :. 03.2024**

आदेश सं.: 43 / 2024

विषय : निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची का संशोधन- श्री षाहिद इदरीषा और अन्य द्वारा दायर ओए नंबर 341/2022 में जारी दिनांक 07.02.2023 के माननीय सीएटी आदेश का कार्यान्वयन - सं |

दिनांक 01.01.2023 की निरीक्षकों की मसौदा वरिष्ठता सूची दिनांक 27.04.2023 को जारी की गई थी, जिसमें सूची के क्रम संख्या 744,781,742 और 743 पर रखे गए निम्नलिखित निरीक्षकों की वरिष्ठता थी। एसएससी सीजीएलई-2011 और सीजीएलई-2012 के अतिरिक्त परिणाम के आधार पर भर्ती की गई नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए इन अधिकारियों को इस क्षेत्र में 2019, 2022 और 2018 में नियुक्त किया गया था और उनकी वरिष्ठता बोर्ड के आवंटन पत्र एफ.सं.ए.12034/एसएससी/05/2012 -एडी.III(बी) और एफ.सं.12034/एसएससी/02/2012-एडी.III(बी) के अनुसार तय की गई थी।

क्रम सं.	प्रारूप वरिष्ठता सूची में दी गई क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	ग्रेड में नियुक्ति की तिथि	ग्रेड में पुष्टि की तिथि	सीजीएलई बैच एवं रैंक
1	744	संजीव कुमार	03.08.1989	23.07.2019	25.05.2022	सीजीएलई-2011 अतिरिक्त रैंक 2366
2	781	परदीप कुमार	20.03.1991	29.04.2022	अभी पुष्टि होना बाकी है	सीजीएलई-2012 (अतिरिक्त) रैंक 2116
3	742	पूजा गुप्ता	06.12.1985	23.07.2018	07.03.2021	सीजीएलई-2012 (अतिरिक्त) रैंक 2661
4	743	दीपक	15.03.1990	22.05.2018	22.05.2020	सीजीएलई-2012 अतिरिक्त रैंक 2896

2. हालांकि, बोर्ड ने पत्र F. No. A.32022/110/2019-AD.IIIA दिनांक 10.1.2024 के माध्यम से श्री श्री षाहिद इदरीषा और अन्य द्वारा दायर OA No.341 / 2022 पर दिए माननीय कैट, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 7.2.2023 को अपनी स्वीकृति दी है और सभी सीसीए को निर्देश दिया है कि वे एसएससी सीजीएलई-2012 [लेकिन बाद में विभिन्न तिथियों पर कार्यभार ग्रहण किए] के अतिरिक्त परिणाम के आधार पर नियुक्त समान उम्मीदवारों को सीजीएलई -2012 में उनके रैंक आदेश के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता और लागू प्रावधानों के अनुसार परिणामी लाभ देकर निर्णय का लाभ प्रदान करें।

3. इसी तरह, बोर्ड ने पत्र F.No.A.32022/40/2023-AD.IIIA दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से एसएससी सीजीएलई-2011 [लेकिन बाद में विभिन्न तारीखों में कार्यभार ग्रहण किए] के अतिरिक्त परिणाम के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को सीजीएलई -2011 में उनके रैंक आदेश के अनुसार काल्पनिक वरिष्ठता और लागू प्रावधानों के अनुसार परिणामी लाभ देकर समान लाभ देने का निर्णय लिया है

4. तदनुसार, उपरोक्त संदर्भित बोर्ड के दिनांक 10.01.2024 और 13.02.2024 के पत्रों के संदर्भ में और निरीक्षकों के संबंध में इस क्षेत्र में पहले प्रकाशित वरिष्ठता सूचियों के अधिक्रमण में, पहले नियुक्त सीजीएलई-2011 और सीजीएलई-2012 के निरीक्षकों की वरिष्ठता और सीजीएलई-2011 और 2012 के अतिरिक्त परिणामों से बाद में नियुक्त उपर्युक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता एसएससी सीजीएलई-2011 और एसएससी सीजीएलई-2012 में उनके रैंक क्रम के अनुसार संशोधित की गई है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

एसएससी सीजीएलई 2011 और एसएससी सीजीएलई 2012 से नियुक्त निरीक्षकों की संशोधित वरिष्ठता सूची, जिसमें एसएससी सीजीएलई 2011 और एसएससी सीजीएलई 2012 के अतिरिक्त परिणाम से डीआर निरीक्षक उम्मीदवार और रिक्ति वर्ष 2013 से 2014 में पदोन्नत निरीक्षक शामिल हैं, बोर्ड के पत्र फा.सं.ए.32022/110/2019-एडी.IIIए दिनांक 10.1.2024 और फा. .सं.ए.32022/40/2023-एडी.IIIए दिनांक 13.02.2024 के संदर्भ में संशोधित।

अंतिम वरिष्ठता सूची में दी गई क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	ग्रेड में नियुक्ति की तिथि	सीजीएलई बैच एवं रैंक
310	मंजु कृष्णदास	13.12.1986	03.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1229
311	गुलशन कुमार	08.11.1985	17.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1264
312	प्रफुल भंडारी	28.03.1991	25.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1308
313	साकेत सिंह ढिल्लों	03.11.1984	27.08.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1320
314	नौषाद रहमान एस के	20.05.1987	24.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1323
315	बादल गफूर ए	13.05.1986	06.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1332
316	आशीष बत्रा	09.04.1986	17.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1351
317	अशोक कुमार	31.12.1985	27.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1368
318	गीतिका चिब	19.03.1984	26.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1396
319	अरविंद कुमर कज्ला	19.08.1985	30.01.2013	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1399
320	नितीश भारद्वाज	14.11.1987	03.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1412
321	मृदुल कुमार सिंह	22.06.1985	28.12.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1422
322	सुधीर दबास	26.05.1984	31.08.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1432
323	अरविंद गुलिया	24.10.1986	06.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1451
324	गौतम कुमार	01.01.1986	24.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक

				क्र.सं./I/1459
325	राकेश सांगवान	02.09.1985	17.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1461
326	रजनीश	20.03.1983	31.12.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1468
327	पटेल उत्सव कीर्तिकुमार	21.09.1989	17.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1470
328	पंकज	07.02.1986	23.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1485
329	संतोष रावत	15.07.1984	03.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1504
330	अनुराधा कुमारी	19.03.1986	27.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1517
331	अमीत खत्री	19.09.1986	05.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1521
332	राहुल गुप्ता	16.04.1983	17.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1523
333	कमल कुमार	13.10.1988	25.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1526
334	शत्रुघन कुमार	02.01.1989	26.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1534
335	वीरेश मिश्रा	04.09.1985	14.03.2013	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1538
336	अभिजीत सिंह	14.10.1987	24.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1543
337	रवीन्द्र मारुती पालकर	16.08.1982	19.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1545
338	आकाश वाल	10.10.1986	26.11.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1546
339	रितेश मानडे	03.06.1985	27.08.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1564
340	आशा	17.11.1985	17.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1565
341	रोबिन गोयल	20.06.1985	06.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1568
342	रोहित खत्री	04.05.1985	18.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1573
343	बालेश्वर कुमार झा	02.06.1979	28.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1578
344	चेतन गुप्ता	05.11.1984	05.11.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1581
345	देबसिस ज्योतिप्रकाश नायक	10.06.1987	25.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1601
346	रामलाल	11.10.1986	17.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1615
347	अनंत विक्रम सिंह	20.04.1986	26.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1664
348	आद्दता चक्रबर्ती	11.12.1987	26.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1667
349	विमल रावत	24.12.1986	26.12.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1676

350	राजीव कुमार शर्मा	20.08.1988	06.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1704
351	दविंदर चोधा	18.03.1988	31.08.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1725
352	विवेक कुमार त्रिवेदी	01.12.1989	27.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/1727
353	जोगेंद्र सिंह	21.07.1986	08.02.2013	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2151
354	किरण शर्मा	26.08.1981	03.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2152
355	अजय राइ	05.03.1984	26.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2192
356	रवि कुमार	28.05.1988	03.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2210
357	रमेश कुमार	20.09.1985	22.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2218
358	शशि कांत सिंह	02.10.1982	28.02.2013	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2237
359	चिंगतम नंदकुमार सिंह	02.04.1983	17.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2243
360	विपिन यादव	02.10.1986	30.08.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2326
361	बंटी कुमार	14.02.1990	06.12.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2327
362	विशाल कुमावत	18.07.1987	04.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2338
363	संजीव कुमार सं.2	10.11.1984	17.01.2013	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2345
363 ए	**संजीव कुमार**	**03.08.1989**	**23.07.2019**	**सीजीएलई 2011 (अतिरिक्त) रैंक 2366**
364	सुनील नागर	12.11.1981	06.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2379
365	श्याम कुमार शर्मा	10.03.1984	03.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2406
366	परिवेश कुमार स्वामी	23.01.1986	04.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2413
367	बाल मुकुन्द	22.06.1986	04.12.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/2937
368	संदीप कुमार	04.02.1988	24.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/3065
369	पंचम कतारिया	10.04.1987	04.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/3101
370	राज कुमार	10.04.1984	29.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/3118
371	कैलाश चंद दयामा	14.10.1988	01.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/3124
372	अजीत कुमार	08.07.1983	23.10.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/3130
373	परविंदर सिंह	13.04.1986	31.08.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/3143

374	राज कुमार	12.05.1987	06.09.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/3180
375	गगनदीप राज	06.01.1982	16.11.2012	सीजीएलई 2011 रैंक क्र.सं./I/3182
376	रत्नाकरन टी.	18.11.1956	07.02.2013	
377	गौरव वत्स	31.12.1989	03.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/0901
378	सूरज एस के	01.04.1990	16.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/1083
379	सुधीर खान जे	02.04.1973	07.02.2013	
380	अंकुर	01.06.1992	09.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/1310
381	शिवकुमार वी के	09.03.1987	04.12.2013 /अपराह्न	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/1647
382	नीता सुकुमारन	02.07.1975	07.02.2013	
383	मनीष के आर	14.07.1989	29.11.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/1675
384	सैलीश पी एम	05.02.1987	30.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/1701
385	जयशंकर पी	25.05.1963	07.02.2013	
386	विष्णु एस मेनोन	27.05.1989	12.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/1853
387	अमन ग्रोवर	30.01.1987	15.10.2014	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2057
388	विनु आर	05.03.1975	07.02.2013	
389	नितिन कुमार गुप्ता	25.10.1988	29.11.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2075
389 ए	**परदीप कुमार**	**20.03.1991**	**29.04.2022/ पूर्वाह्न**	**सीजीएलई 2012 (अतिरिक्त) रैंक 2116**
391	सुन्दरन पी जी	21.03.1959	07.02.2013	
390	समिध बसु	05.03.1985	12.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2262
392	अभिनव सिंह बिष्ट	02.08.1985	09.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2359
394	यासर अराफात	19.09.1978	07.02.2013	
393	निशांत सक्सेना	28.08.1990	11.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2360
395	महादेव	25.09.1988	24.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2361
397	हमीद के के	10.04.1974	07.02.2013	
396	भूपाल कुमार	12.02.1987	16.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2425
398	संदीप जैन	21.05.1985	03.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2480
400	सलीम कुमार एस	20.05.1969	07.02.2013	
399	दीपक	15.07.1988	12.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2489
401	दिनेश कुमर	20.11.1989	03.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2507

403	भास्करन के पी	02.11.1956	07.02.2013	
402	अक्षय सिंह भदौरिया	26.10.1990	09.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/25
402 ए	**पूजा गुप्ता**	**06.12.1985**	**23.07.2018**	**सीजीएलई 2012 (अतिरिक्त) रैंक 2661**
406	सुजाता विजयन	09.11.1977	07.02.2013	
404	अर्जुन कृष्णा	03.02.1988	09.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2673
405	सरवन कुमार	07.05.1990	09.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2730
409	शिवराजन एस	25.05.1959	07.02.2013	
407	कपिल गार्ग	25.06.1990	10.02.2014	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2770
408	सोनु कुमार	04.06.1988	30.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2881
410	अजीत कुमार गुप्ता	07.09.1990	09.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2889
411	अजीत सिंह चौधरी	17.08.1988	30.01.2014	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2892
411ए	**दीपक**	**15.03.1990**	**22.05.2018**	**सीजीएलई 2012 (अतिरिक्त) रैंक 2896**
412	सूरज गुप्ता	11.01.1987	29.11.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2966
413	अलोक कुमार सोनी	23.07.1987	06.01.2014	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/2991
414	संदीप कुमार	15.08.1983	16.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/3002
415	अर्पित जैन	13.07.1992	29.11.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/3029
416	संदीप कुमार	07.11.1989	09.12.2013	सीजीएलई 2012 रैंक क्र.सं./I/3073

5. वरिष्ठता में संशोधन सीएटी (एर्णाकुलम बेंच) के ओए संख्या 523/2023,527/2023,543/2023 के अंतिम परिणाम और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में, जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच के पास लंबित है, एसएलपी (सी) संख्या: 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में दिए गए फैसलों के अधीन है ।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

3. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा),कोच्चि
6. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(अपील),कोच्चि
7. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कोच्चि
8. अपर महा निदेशक, नासिन, क्षेत्रीय परिसर, कोच्चि

प्रति :

1. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/, कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ लेखा परीक्षा/सीसीपी/अपील के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. एपी/यूबी, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ कण्णूर के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
4. महा सचिव, अखिल भारतीय निरीक्षक संघ, केरल सर्किल

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

आदेश सं.: 42/2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इसके साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती) एवं पदनाम	जन्म तिथि	...से	... को
1.	साइमण पीटर	22.04.2000	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोच्चि
2.	हरिनंद ए	18.04.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड़
3.	विष्णु एम आर	26.10.2001	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
4.	किरण डी एस	12.03.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड़
5.	अद्वैत एस	23.10.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
6.	जूलिया मथ्यू	14.01.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
7.	अन्षाद जे	02.09.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
8.	प्रवीण कुमार टी	19.09.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिककोड़
9.	अनुराग विश्वकर्मा	25.06.1991	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

10.	रचना के	09.10.2001	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
11.	नन्दकिशोर प्रजापत	03.01.2002	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
12.	गोविन्द अनिल	14.02.2001	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड़
13.	वीणा ए वेणु	20.08.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
14.	जसीम मुहम्मद के	17.04.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड़
15.	करिश्मा कुमारी	07.09.2001	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि
16.	मनु कृष्णन एम	22.09.2001	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
17.	निर्मल जोस	16.05.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
18.	शाहिल	16.02.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
19.	अवी गौतम	12.08.2002	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
20.	कमलेश कुमार यादव	15.05.1998	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
21.	गौरव यादव	20.11.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
22.	रवि यादव	22.07.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
23.	योगेश कुमावत	01.06.2003	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
24.	अनिता कुमारी	13.01.2001	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
25.	प्रभात कुमार पाण्डेय	05.08.1996	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
26.	राहुल	28.08.1993	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
27.	स्वतंत्र कुमार सिंह	15.08.1994	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,कोयिक्कोड़
28.	साहिल कुमार गुप्ता	14.02.1994	नई भर्ती (सीजीएलई	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद

			2023)	शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
29.	निसाघ एम टी	12.11.1995	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
30.	षकील अहमद	04.11.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
31.	देवेश कुमार सिंह	29.09.1993	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क,अपील आयुक्तालय, कोच्चि
32.	अभेद एम ए	04.05.1999	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
33.	सीताराम यादव	20.06.1997	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
34.	मेहता धवल रजनीकांत	02.08.1990	नई भर्ती (सीजीएलई 2023)	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
35.	जेम्स अगस्टिन	12.02.1969	(हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम), सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन	केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
36.	राम किशोर के	05.11.1993	एर्णाकुलम रेंज 5	(हवाई अड्डा, करिपूर), सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

2. अधिकारियों को दिनांक **07.03.2024** तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है।

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर. केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है

5. दिनांक **11.03.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[टी जीं वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम |
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड |

3. सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि |
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (लेखा परीक्षा),कोच्चि |
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील),कोच्चि |
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम / कोयिक्कोड/ कोच्चि
7. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के सभी मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप/ सहायक आयुक्त
8. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप/ सहायक आयुक्त
9. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
10. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता),कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ सीमाशुल्क(निवारक)/ लेखा परीक्षा, कोच्चि
11. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
12. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt दिनांक:- .02.2024

आदेश सं.: 41/2024

विषय : कार्याकारी सहायक /कर सहायक के ग्रेडों में तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कार्याकारी सहायक /कर सहायक के ग्रेडों में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	निकिता थॉमस, कार्यकारी सहायक	25.09.2000	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
2.	अनखा कृष्णन, कार्यकारी सहायक	28.01.2000	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
3.	अमरनाथ ए आर कार्यकारी सहायक	28.01.2000	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
4.	अनघा आर नायर, कर सहायक	10.12.1999	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड आयुक्तालय
5.	कृष्णा आर, कर सहायक	23.01.2000	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
6.	विनोय वी, कर सहायक	05.09.2000	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
7.	संजय थॉमस जॉन, कर सहायक	29.03.1999	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय,कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / कोयिक्कोड/ तिरुवनंतपुरम/ लेखा परीक्षा

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/अधीक्षक (सतर्कता), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt-Part(1) **दिनांक: 21.02.2024**

स्थापना आदेश सं.: 40 / 2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/90671)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 09.02.2024 की स्वीकृति पर, **श्री संजय थॉमस जॉन, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12025/2/2023 - एडी-III.बी अनुभाग -सीबीईसी दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार, को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **21.02.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री संजय थॉमस जॉन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री संजय थॉमस जॉन,
सुपुत्र श्री थॉमस जॉन,
टीसी 15/4057, एल -18ए,
एलआईसी -ए लेन, पट्टम, तिरुवनंतपुरम,
केरल - 695004

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/11/2/2020-Estt

दिनांक: 21.02.2024

आदेश सं.:39/2024

विषय : आशुलिपिक ग्रेड - I की श्रेणी में स्थायीकरण -सं.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018 -Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/1/2010 -Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित ग्रेड -I श्रेणी के आशुलिपिकों को उनके नाम के सामने सूचित तारीखों से उनकी श्रेणी में स्थाई बनाईं गईं हैं : -

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/कुम.)	जन्मतिथि	स्थाईकरण की तिथि
1.	अर्चिता मोहन	24.08.1996	12.10.2023
2.	के एम नर्गिश जहान	25.12.1995	12.10.2023
3.	पुनीत	31.07.1996	11.10.2023
4.	ओमकार सिंह	12.08.1997	07.10.2023

2. संबन्धित व्यक्तियों की सेवा पंजियों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएँ ।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

सभी संबन्धितों को [संबन्धित अधिकारी के माध्यम से]

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
2. अधीक्षक(गोप./सत॰)केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. वरिष्ठअनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **दिनांक: 19.02.2024**

स्थापना आदेश सं.: 38 / 2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/90669)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर की और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 09.02.2024 की स्वीकृति पर, **श्री विनोय वी.,** कर सहायक (ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं और यूआर श्रेणी के तहत आवंटित हैं) के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित एक उम्मीदवार, पत्र A-12025/2/2023-एडी-III.बी अनुभाग -सीबीईसी दिनांक 19.12.2023, को केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में कर सहायक के रूप में दिनांक **19.02.2024 (पूर्वाह्न)** से नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री विनोय वी.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री विनोय वी.,
सुपुत्र श्री विजयन पी.,
टीसी 21/1490, चिरकुयिमेले तट्टु वीडु,
नेडुमकौड़, करमना डाक, तिरुववनंतपुरम,
केरल - 695002

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt दिनांक :19.02.2024

आदेश सं.: 37/2024

विषय : कर सहायक के ग्रेड में तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

कर सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	तैनात	
			...से	..को
1.	सी पी प्रणव	31.05.1997	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	लेखा (वेतन बिल)अनुभाग, मु.कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[शरत चंद्रन एम]
सहायक आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ अधीक्षक (सत.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt-Part(1) **दिनांक: 16.02.2024**

स्थापना आदेश सं.: 36 / 2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/90667)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 09.02.2024 की स्वीकृति पर, **कु. कृष्णा आर., अनारक्षित (यूआर) श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12025/2/2023 - एडी-III.बी अनुभाग -सीबीईसी दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार, को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **16.02.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **कु. कृष्णा आर.**को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कु. कृष्णा आर.,
सुपुत्री श्री राजेश कुमार के एन,
द्वारका टीसी 33/2975, एल -18ए,
कचनी, नेट्टयम डाक, तिरुवनंतपुरम,
केरल - 695013

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/50/2023-Estt-Part(1) **दिनांक: 16.02.2024**

स्थापना आदेश सं.: 35 / 2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कार्यकारी सहायक/90685)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कार्यकारी सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 09.02.2024 की स्वीकृति पर, **श्री अमरनाथ ए आर, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी** के तहत कार्यकारी सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12025/2/2023 - एडी-III.बी अनुभाग -सीबीईसी दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार, को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **15.02.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कार्यकारी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री अमरनाथ ए आर** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री अमरनाथ ए आर,
सुपुत्र श्री आर सी पिल्लै,
हाउस नं.89, लक्ष्मणा नगर,
आश्रमम डाक, कोल्लम,
केरल - 691002

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT दिनांक : 02.2024

आदेश सं.: 34/2024

विषय : एमटीएस के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के एमटीएस के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	राहुल वी एस	27.02.1988	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	सीआरयू/प्रशासन, मु.कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[शरत चंद्रन एम]
सहायक आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक (सत./सिस्टम्स)/ अधीक्षक (सत.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT दिनांक : 02.2024

आदेश सं.: 33/2024

विषय : हवलदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हवलदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	ए वी अनिल कुमार	31.05.1983	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	मु.कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[शरत चंद्रन एम]
सहायक आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
3. अधीक्षक (सत./ सिस्टम्स)/ अधीक्षक (सत.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
4. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **दिनांक : .02.2024**

स्थापना आदेश सं.: 32 / 2024

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग 'सीजीएलई 2022' के माध्यम से केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के केडर में नियुक्ति -संबन्धित |

दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रोज़गार मेले के बाद सूचित किए गए इस केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 22.09.2023 के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर **अनुसूचित जाति** श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली पत्र फा.सं. A-12034/SSC/07/2022 -Ad.III.B दिनांक 08.08.2023 के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामांकित किए गए उम्मीदवार, **श्री मेहता धवल रजनीकांत** को केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु.44,900- रु.1,42,400) में दिनांक **11.01.2024 (पूर्वाह्न)** से अस्थायी तौर पर उसके चरित्र, पूर्ववृत्त एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन होने पर नियुक्त किया जाता है ।

श्री मेहता धवल रजनीकांत को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है । इस संबंध में सुसंगत **डीओपीटी कार्यालय ज्ञापनों** के अनुसार उम्मीदवार के संबंध में परिवीक्षा का सफल समापन आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर है जैसे कि, परिवीक्षा अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना, अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना, और परिवीक्षा अवधि के दौरान आवश्यक निर्धारित उपस्थिति, आदि, ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, **श्री मेहता धवल रजनीकांत** स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

टी. वेंकटेश

(वेंकटेश टी जी)
आयुक्त

सेवा में,

श्री मेहता धवल रजनीकांत,
ए-10, पार्थ पार्क, राणेश्वर मंदिर के पास, वासना रोड,
वड़ोदरा,गुजरात, पिन - 390012

प्रतिलिपि समर्पित

1. अपर सचिव (AD.III.(B),वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, हडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम /कोयिक्कोड
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा, कोच्चि
3. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील कोच्चि
5. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
6. प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.)/ वेतन बिल अनुभाग,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
7. अधीक्षक(गोपनीय-सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
8. अधीक्षक(ई.डी.पी.) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
9. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/50/2023-Estt **दिनांक: 16.02.2024**

स्थापना आदेश सं.: 31 / 2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कार्यकारी सहायक/90688)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कार्यकारी सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 09.02.2024 की स्वीकृति पर, **कु. अनखा कृष्णन**, **अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी** के तहत कार्यकारी सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12025/2/2023 - एडी-III.बी अनुभाग -सीबीईसी दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार, को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **14.02.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कार्यकारी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **कु. अनखा कृष्णन** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी.वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

कु. अनखा कृष्णन,
सुपुत्री श्री राधाकृष्णन दिवाकरन,
अश्वती, मंगलम नगर -196,
मूनमकुट्टी डाक, कोल्लम,
केरल - 691015

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/50/2023-Estt **दिनांक: 16.02.2024**

स्थापना आदेश सं.: 30 / 2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कार्यकारी सहायक/90754)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कार्यकारी सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 09.02.2024 की स्वीकृति पर, **कु. निकिता थॉमस**, **अनारक्षित (यूआर) श्रेणी** के तहत कार्यकारी सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12025/2/2023 - एडी-III.बी अनुभाग -सीबीईसी दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार, को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **14.02.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कार्यकारी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **कु. निकिता थॉमस** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

5. यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।

टी.जी. वेंकटेश

(टी जी वेंकटेश)
आयुक्त

सेवा में,

कु. निकिता थॉमस,
सुपुत्री श्री बिजुमोन फ्रांसिस,
ओयक्कल हाउस, तेंगुमकावु डाक,
मल्लशेरी, पत्तनमतिट्टा,
केरल - 689646

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **दिनांक: 15.02.2024**

परिशिष्ट

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 - संबन्धित

उपरोक्त विषय पर आदेश संख्या 29/2024 दिनांक 14.02.2024 का संदर्भ लें।

2. उपरोक्त आदेश के पैराग्राफ 4 के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जा सकता है |

"यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष शुभम पाल और अन्य द्वारा दायर W.P.(C) सं.16593/2023 के परिणाम के अधीन है ।"

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **दिनांक: 14.02.2024**

स्थापना आदेश सं.: 29 / 2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं. तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/90670)

विषय :- कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी) के माध्यम से कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2023 - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक नियुक्ति प्रस्ताव दिनांक 09.02.2024 की स्वीकृति पर, **कु.अनघा आर नायर, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी** के तहत कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए मंत्रालय द्वारा पत्र फा.सं. A-12025/2/2023 - एडी-III.बी अनुभाग -सीबीईसी दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से आवंटित एक उम्मीदवार, को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में (रु.25,500- रु.81,100) में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **14.02.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **कु.अनघा आर नायर** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

(रानी सी आर)
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कु.अनघा आर नायर,
सुपुत्री श्री रामचंद्रन नायर,
संतृप्ति, पिरिवुशाला,चंद्रनगर डाक,
पालक्काड, केरल - 678007

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क , मु., कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

आदेश सं.: 28/2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक /निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक /निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	बिजु जॉर्ज पी, अधीक्षक	01.02.1971	सतर्कता अनुभाग, मु.कोच्चि	बकाया कक्ष,मु.कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार सहित सतर्कता अनुभाग
2.	टोजो डेविस, अधीक्षक	18.10.1968	स्थापना अनुभाग, मु.,कोच्चि	बकाया कक्ष,मु.कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार सहित स्थापना अनुभाग
3. ,	रैंजिनी पी एस, अधीक्षक	31.05.1971	न्यायनिर्णयन अनुभाग,मु.,कोच्चि	समीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि
4.	एंटणी पी ओ, अधीक्षक	05.04.1967	एर्णाकुलम मंडल	एर्णाकुलम रेंज 5
5.	जोषुआ के आई, अधीक्षक	03.04.1966	एर्णाकुलम रेंज 5	एर्णाकुलम मंडल
6.	सुमीत सामूएल, निरीक्षक	28.02.1987	एर्णाकुलम रेंज 1	कवरत्ती रेंज के अतिरिक्त प्रभार सहित एर्णाकुलम रेंज 1
7.	निखिल एस बाबु, निरीक्षक	03.09.1994	सतर्कता अनुभाग, मु.कोच्चि	बकाया कक्ष,मु.कोच्चि के अतिरिक्त प्रभार सहित सतर्कता अनुभाग

2. बकाया कक्ष में अतिरिक्त प्रभार पर तैनात अधिकारियों को दिनांक 31.03.2024 तक कुछ उच्च मूल्य के मामलों की वसूली के एक विशेष कार्य के साथ तैनात किया जा रहा है।

3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दिनांक **16.02.2024** तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है। निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

5. दिनांक **19.02.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
3. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/9/2024-Estt दिनांक:- 14.02.2024

आदेश सं.: 27/2024

विषय : चालक (ग्रेड -I) के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

चालक (ग्रेड -I) के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			...से	... को
1.	सर्जन वी जी	10.10.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई (सीसीओ-सीसीए)

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 23.02.2024 तक किया जाना चाहिए और अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई कोच्चि क्षेत्रीय इकाई
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि / तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा, कोच्चि /अपील, कोच्चि |

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. अधीक्षक (मुख्यालय), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स/ सतर्कता)/ हिंदी इकाई,, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt दिनांक :06.02.2024

आदेश सं.: 26/2024

विषय : कर सहायक के ग्रेड में तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कर सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/कुम.)	जन्म तिथि	तैनात	
			...से	..को
1.	जीना जानेट	07.08.1996	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड आयुक्तालय
2.	सी पी प्रणव	31.05.1997	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियाँ

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्या आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि /कोयिक्कोड

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/कोयिक्कोड
2. अधीक्षक (सिस्टम्स)/ अधीक्षक (सत.), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु.,कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT दिनांक : 06.02.2024

आदेश सं.: 25/2024

विषय : एमटीएस के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के एमटीएस के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (श्री)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	राहुल वी एस	27.02.1988	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[शरत चंद्रन एम]
सहायक आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त ,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
6. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / कोच्च

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय

4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सत.) , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-ESTT दिनांक : 06.02.2024

आदेश सं.: 24/2024

विषय : हवलदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	रेशमा सी बी	16.04.1988	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
2.	सजित सी एस	21.12.1988	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,अपील, कोच्चि
3.	जिष्णु के	04.05.1998	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
4.	विनीता टी वी	01.03.1979	कार्यग्रहण करने पर	सीसीओ-सीसीए
5.	सुनील कुमार सी पी	14.05.1978	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक)आयुक्तालय, कोचिन
6.	संतोष एस	25.05.1984	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
7.	ए वी अनिल कुमार	31.05.1983	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[शरत चंद्रन एम]
सहायक आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि

4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त ,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि
6. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई/ डीआरआई आंचलिक इकाई, तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / कोच्च

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सत.) , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File GEXCOM/II(25)/3/2021-Estt

दिनांक: 01.02.2024

आदेश सं.: 23/2024

विषय : श्री क्रिस्टोफेर एन ए, हेड हवलदार, के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - संबन्धित ।

सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के अपर आयुक्त (का. व सत.), श्री क्रिस्टोफर एनए, हेड हवलदार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम मंडल, कोच्चि आयुक्तालय को दिनांक 01.02.2024 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत होने की अनुमति देते हैं जो दिनांक 15.01.2024 और दिनांक 31.01.2024 के उनके अभ्यावेदन के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी प्रासंगिक शर्तों के अधीन है |

2. यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तीन महीने की नोटिस अवधि की आवश्यकता को शिथिल करने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, इस शर्त के अधीन कि सरकारी कर्मचारी दिनांक 15.04.2024 (यानी, तीन महीने की नोटिस की अवधि की समाप्ति की तारीख) से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के रूपान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेगा | इस आशय का एक वचनपत्र अधिकारी द्वारा तुरंत इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. श्री क्रिस्टोफर एन ए, हेड हवलदार के संबंध में सभी बकाया राशि, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल की जा सकती है

(शरत चंद्रन एम)
सहायक आयुक्त(का व सत)

सेवा में

श्री क्रिस्टोफर एन ए,
हेड हवलदार,(सम्बंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)
एर्णाकुलम मंडल, कोच्चि आयुक्तालय

प्रतिलिपि प्रस्तुत :

1.मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि

प्रतिलिपि

1. **केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त, एर्णाकुलम मंडल - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय उसे प्र.अधिकारी (डी डी ओ) व सहकारी सोसाइटी से एन ओ सी लेना है ।**
2. **मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि**
3. **प्र.अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि**
4. **अधीक्षक (गोप.), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि**

5. अधीक्षक (सिस्टम्स) -वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
6. सचिव, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहकारी समिति,कोच्चि
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

आदेश सं.: 22 / 2024

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में प्रोफोर्मा पदोन्नति - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के निम्नलिखित निरीक्षकों, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं (संशोधन पूर्व पैमाने में 9300-34800 (पीबी-2) ग्रेड वेतन - 4800/- रुपये के वेतन बैंड के अनुरूप) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -8 में समूह 'बी' पद के केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के ग्रेड में दिनांक 04.2.2023 से, यानी उनके तत्काल कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख, प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। ।

क्रम सं.	नाम(सर्वश्री/श्रीमती)	वर्तमान तैनाती का स्थान	समय सीमा जिसके भीतर अधिकारी को मूल कैडर में फिर से शामिल होना चाहिए
1	आशा	प्रवर्तन निदेशालय,नई दिल्ली	22.10.2025
2	अमीत खत्री	डीजीजीआई,मु.नई दिल्ली	09.01.2025
3	किरण शर्मा	डीआरआई,दिल्ली आंचलिक इकाई	29.02.2024
4	सुनील नागर	प्रवर्तन निदेशालय, उप आंचलिक इकाई, जम्मु	31.05.2025

2. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी उस पद पर कार्य करना जारी रखेंगे जिस पद पर उन्हें प्रतिनियुक्ति पर चुना गया था, और प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन के बाद और पदोन्नत पद पर संवर्ग में कार्यग्रहण करने के बाद ही उच्च ग्रेड पर वेतन लेने के पात्र होंगे।

3. वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पदोन्नति की प्रभावी तिथि पदोन्नति के आदेश की तारीख (अर्थात 04.12.2023) रहेगी।

4. प्रोफार्मा पदोन्नति का विकल्प चुनने वाले उपर्युक्त अधिकारियों के लिए अनुमोदित अवधि से अधिक प्रतिनियुक्ति अवधि को और बढाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. यदि अधिकारी प्रोफार्मा पदोन्नति का विकल्प नहीं चुनता है या नियमित पदोन्नति स्वीकार करने के लिए वापस नहीं आता है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी ने पदोन्नति से इनकार कर दिया है।

6. सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि ने निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति के लिए आवेदन पर विचार किया है और निम्नानुसार निर्णय लिया है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती का स्थान	सक्षम / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय
1	निशांत सक्सेना	प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली	अस्वीकृत । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009- स्थापना (वेतन II) के पैरा 8(iii) के अनुसार पांचवें वर्ष से अधिक समय प्रतिनियुक्ति अवधि को बढाने पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
2	विपिन यादव	पीए सह सीए, एचसीआई, लंडन (सीओआईएन तैनाती)	अस्वीकृत । उन प्रतिनियुक्तियों के मामले में, जहां चयन के समय (जैसे सीओआईएन तैनाती के मामले में) पदोन्नति लाभों को विस्मृत करते हुए एक वचनबंध दिया जाता है, प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

7. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति :

1. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय, डॉ.ए पी जे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली -110011
2. उप निदेशक(प्रशासन), जी एस टी आसूचना महानिदेशालय, पश्चिम ब्लाक-8, शाखा सं.6, दूसरी मंजिल, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
3. अपर निदेशक(प्रशासन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली आंचलिक इकाई, 6वीं मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
4. संयुक्त निदेशक(प्रशासन), राजस्व आसूचना निदेशालय,मुख्यालय, नई दिल्ली -1100०२
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2024-Estt **दिनांक: 24.01.2024**

आदेश सं.: 21/2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/मल्टी टास्किंग स्टाफ /91116)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर मल्टी-टास्किंग स्टाफ के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **ओबीसी** (अन्य पिछड़ा वर्ग) **श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर मल्टी-टास्किंग स्टाफ के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **श्री राहुल वी.एस.** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900) में लेवल-1 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **24.01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री राहुल वी.एस.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री राहुल वी.एस.,
सुपुत्र स्वर्गीय वी एन सुगुणन,
वेलीपरम्बिल हाउस, नेट्टूर डाक, मरड(ज़रिये),
एर्णाकुलम -682040

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt **दिनांक: 24.01.2024**

आदेश सं.: 20/2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/हवलदार/91112)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **ओबीसी** (अन्य पिछड़ा वर्ग) **श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **श्रीमती विनीता टी. वी.** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900) में लेवल-1 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **24.01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्रीमती विनीता टी. वी.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्रीमती विनीता टी. वी.,
स्वर्गीय मनोज कुमार पी आर की पत्नी,
पराता हाउस, तोन्डयिल रोड,
पनम्पिल्ली नगर, कोच्चि - 682036

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt **दिनांक: 24.01.2024**

आदेश सं.: 19 / 2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/हवलदार/91113)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **यूआर** (अनारक्षित) **श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **श्री सुनील कुमार सी पी** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900) में लेवल-1 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **24.01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री सुनील कुमार सी पी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सुनील कुमार सी पी.,
सुपुत्र स्वर्गीय के राजन नायर,
नेल्लिक्कोड हाउस, कुरिक्कत्तूर डाक, कुन्नमंगलम (ज़रिये),
कोयिक्कोड - 673571

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt **दिनांक: 24.01.2024**

आदेश सं.: 18/2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/हवलदार/91114)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **ओबीसी** (अन्य पिछड़ा वर्ग) **श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **श्री संतोष एस.** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900) में लेवल-1 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **24.01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री संतोष एस.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री संतोष एस.,
सुपुत्र स्वर्गीय वी शिवन कुट्टी,
शिव भवन, तुंडविलक्कम, काटाक्कडा डाक,
तिरुवनंतपुरम - 695572

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt **दिनांक: 24.01.2024**

आदेश सं.: 17/2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/हवलदार/91108)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जाति श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **श्री सजित सी.एस.** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900) में लेवल-1 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **24.01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री सजित सी.एस.** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सजित सी.एस.,
सुपुत्र स्वर्गीय चेल्लप्पन एम.,
वीटिलयतु कियक्केतिल,
चेरवल्ली, कायमकुलम डाक,
आलप्पुया - 690502

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt **दिनांक: 24.01.2024**

आदेश सं.: 16/2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/हवलदार/91115)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जाति श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **श्री ए.वी.अनिल कुमार** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900) में लेवल-1 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **24.01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री ए.वी.अनिल कुमार** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री ए.वी.अनिल कुमार,
सुपुत्र स्वर्गीय ए के वेलायुधन,
अत्तिकुलंगरा हाउस, अनिता निवास,
कोट्टप्पुरम डाक, एरुमप्पेट्टी,
त्रिश्शूर - 680584

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2024-Estt **दिनांक: 24.01.2024**

आदेश सं.: 15/2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/91111)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **ओबीसी** (अन्य पिछड़ा वर्ग) **श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **श्री सी पी प्रणव** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (25,500-81,100) में लेवल-4 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **24.01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री सी पी प्रणव** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री सी पी प्रणव,
सुपुत्र स्वर्गीय रजनी प्रभुदास,
चेरूर हाउस, प्रणवम, पी बी रोड,
एल्तुरुत डाक,
त्रिश्शूर - 680611

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2024-Estt **दिनांक: 23.01.2024**

आदेश सं.: 14/2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/कर सहायक/91110)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर कर सहायक के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **यूआर** (अनारक्षित) **श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर कर सहायक के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **कु. जीना जेनेट** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (25,500-81,100) में लेवल-4 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **23.01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में कर सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **कु. जीना जेनेट** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

कु. जीना जेनेट,
सुपत्री स्वर्गीय श्री के बाबु,
संवेद्या क्वार्टर्स, कण्णीलपालम,
चालाड डाक, कण्णूर -670014

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt **दिनांक: 23.01.2024**

आदेश सं.: 13/2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/हवलदार/91107)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **अनुसूचित जाति श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **श्रीमती रेशमा सी बी** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900) में लेवल-1 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **23 .01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्रीमती रेशमा सी बी** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगी । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगी या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगी तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्रीमती रेशमा सी बी,
स्वर्गीय पी पी राजेश की पत्नी,
चुणन्गाड कॉलोनी, चुणन्गाड डाक,
ओट्टप्पालम, पालक्काड -679511

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt **दिनांक: 23.01.2024**

आदेश सं.: 12/2024

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश सं.तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/कोच्चि/हवलदार/91109)

विषय :- अनुकम्पा के आधार पर हवलदार के ग्रेड में नियुक्ति - संबन्धित

इस केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के दिनांक 16.01.2024 के फाइल सं. GEXCOM/II/(3)/63/2021-ESTT द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति पर, **यूआर** (अनारक्षित) **श्रेणी** के तहत अनुकंपा के आधार पर हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार **श्री जिष्णु के** को अस्थायी क्षमता पर वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900) में लेवल-1 में और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते में दिनांक **23 .01.2024 (पूर्वाह्न)** से केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में हवलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन है।

2 **श्री जिष्णु के** को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वह परिवीक्षाधीन रहेगा । नियुक्ति प्राधिकारी यदि चाहे तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

3. यदि परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले या पैरा 2 में उल्लिखित बढ़ाई गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उपर्युक्त उम्मीदवार स्थायी विलयन के लिए योग्य नहीं होगा या परिवीक्षा के अवधि के दौरान कभी भी या इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि वह स्थाई विलयन के लिए योग्य नहीं होगा तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह उचित समझें ।

4. उपर्युक्त उम्मीदवार को यह भी सूचित किया जाता है कि उसकी नियुक्त अनंतिम है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र की उचित माध्यम से जांच की शर्तों के अधीन है और जांच से पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 'क्रीमी लेयर' के न होने का उसका दावा, जैसे भी मामला हो, गलत साबित होता है तो किसी भी अन्य कारण बताए बिना और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत या उस समय प्रभावी किसी भी अधिनियम के अंतर्गत गलत प्रमाण -पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में लागू) प्रस्तुत करने हेतु ली जाने वाली कार्रवाई की पूर्व धारणा के बिना उसकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा ।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में,

श्री जिष्णु के,
सुपुत्र स्वर्गीय रवीन्द्रन पी,
सूर्या वीणा, II/88, कावुंगल, पट्टुवम डाक,
तलिपरम्ब, कण्णूर - 670143

प्रतिलिपि समर्पित

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षक(सतर्कता) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी) डी.डी.ओ ,(.केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,कोच्चि
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि, वेबसाइट में उपलोड करने हेतु
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,मु.,कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/75/2021-ESTT **दिनांक: 19.01.2024**

आदेश सं.: 10/2024

विषय : दिनांक 12.02.202019 के ओपी (कैट) संख्या 2019 का 24 में केरल के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में श्रीमती पी.वी. सुजाता, प्रशासनिक अधिकारी (सेवानिवृत्त) को मुख्य लेखा अधिकारी की श्रेणी में कल्पित पदोन्नति ।

सीबीआईसी के पत्र फा.सं.A-23011/44/2016-Ad.IIA (Pt.) दिनांक 04.06.2020 एवं दिनांक 30.07.2020 और फा.सं. A-23011/03/2023-A.IIए दिनांक 11.01.2024 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 से श्रीमती पी.वी. सुजाता, प्रशासनिक अधिकारी (सेवानिवृत्त) को ग्रेड वेतन 5400 रुपए के साथ वेतन बैंड पीबी-3 (15600-39100 रुपये) में, समूह 'क' में मुख्य लेखा अधिकारी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) की श्रेणी में इसके साथ कल्पित पदोन्नति दी जाती है ।

2. यह भी आदेश दिया गया है कि श्रीमती पी.वी. सुजाता की पेंशन, पदोन्नति पद पर उनका वेतन निर्धारित करने के बाद, फिर से तय की जाएगी ।

3. यह आदेश दिनांक 12.02.2019 के ओपी (कैट) संख्या 2019 का 24 में केरल के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में जारी किया जाता है |

3. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(तीव्र डाक द्वारा)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. अवर सचिव, सीबीआईसी (एडी.IIए)
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोचिन

प्रति

1. सहायक आयुक्त(विधिक), केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मु.कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
4. अधीक्षक(सत॰) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन
5. अधीक्षक(सिस्टम्स) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
6. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/41/2023-Estt दिनांक : 16.01.2024

स्थापना आदेश सं.: 9 / 2024

विषय: केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 4 / 2024 दिनांक 09.01.2024 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है:

2. श्रीमती शांति वी., उप आयुक्त को विधिक का प्रभार सौंपा गया है। श्री राजा टोमी, सहायक आयुक्त को सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण का प्रभार सौंपा गया है | श्री षैजु, सहायक आयुक्त को न्यायनिर्णयन एवं डीजीएआरएम का प्रभार सौंपा गया है | श्री रंजित शांतकुमार, सहायक आयुक्त को समीक्षा का प्रभार सौंपा गया है |

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	सी.टी. बिंदु	का.व सत., सिस्टम्स, प्रशासन एवं लेखा	शरतचंद्रन एम	शांति वी
2	आर षैजु	न्यायनिर्णयन और डीजीएआरएम	राजा टोमी	शरतचंद्रन एम
3	रंजित शांतकुमार	समीक्षा, आधारिक संरचना कल्याण, खेल एवं मुख्यालय	अजिता पी	राजा टोमी
4	एन. एस. जयश्री	तकनीकी, ससंद प्रश्न, आरऍफ़डी एवं सांख्यिकी	रंजित शांतकुमार	अजिता पी
5	अजिता पी	लेखा परीक्षा एवं कर बकाया वसूली	आर षैजु	रंजित शांतकुमार
6	शरतचंद्रन एम	अपवंचनरोधी, मुकदमा एवं सत्यापन कक्ष	सी.टी. बिंदु	एन. एस. जयश्री
7	राजा टोमी	सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण	शांति वी	आर षैजु

8	शांति वी	विधिक	एन. एस. जयश्री	सी.टी. बिंदु
9	माया चंद्रन	आलुवा मंडल	माया कुरियन	रामस्वामी एस
10	हारिसण एंटणी	एर्णाकुलम मंडल	रामस्वामी एस	अनिल राज आर
11	रामस्वामी एस	काक्कनाड़ मंडल	अनिल राज आर	हारिसण एंटणी
12	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	शशिधरन	माइकल टी एच
13	शशिधरन	त्रिश्शूर मंडल	माया चंद्रन	माया कुरियन
14	अनिल राज आर	पेरुम्बावूर मंडल	माइकल टी एच	शशिधरन
15	माइकल टी एच	इडुक्की मंडल	अनिल राज आर	रामस्वामी एस

टी.जी वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर/ संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप सहायक आयुक्त/,केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक) सिस्टम्स(केकर एवं . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु .कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT.

आदेश सं.: 08/2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण आदेश सं. 05/2024 के जारी करने के परिणामस्वरूप केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक,कोच्चि आयुक्तालय के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	रामलाल	11.10.1986	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	अंगमाली रेंज
2.	शशिकांत सिंह	02.10.1982	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	एर्णाकुलम रेंज 6
3.	गौरव वत्स	31.12.1989	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	काक्कनाड रेंज 4
4.	विनु आर	05.03.1975	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	समीक्षा अनुभाग, मु.,कोच्चि
5.	आईसक वर्गीस	15.05.1971	काक्कनाड रेंज 4	जन संपर्क अधिकारी अनुभाग,मु.कोच्चि

2. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **22.01.2024** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

4. दिनांक **25.01.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **दिनांक: 10.01.2024**

आदेश सं.: 7 / 2024

विषय : - हवलदार एवं हेड हवलदार ग्रेडों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के हेड हवलदार एवं हवलदार के ग्रेडों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सुश्री/ सर्वश्री/श्रीमती)	जन्मतिथि	...से	... को
1	साबु एम.जे., हेड हवलदार	19.03.1967	चालक्कुडी मंडल	इरिंजालक्कुडा रेंज
2	डेन देव अम्बाडन, हवलदार	20.12.1987	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के अधीन	चालक्कुडी मंडल

2. उपर्युक्त अधिकारियों को कार्यभार से मुक्त किया जाना चाहिए और अपने नए स्थान पर दिनांक **17.01.2024** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए |
3. दिनांक 19.01.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त,केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों में प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)
4. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT दिनांक : .01.2024

आदेश सं.: 06 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	नितिन मैथ्यू	24.07.1996	कार्यग्रहण करने पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन

2. अधिकारियों को दिनांक **17.01.2024** तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है।
3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |
4. यह केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |
4. दिनांक **19.01.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

टी.जी.वेंकटेश।

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
3. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

आदेश सं.: 05 / 2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है ।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	मृदुल कुमार सिंह	22.06.1985	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
2.	गौतम कुमार	01.01.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
3.	पंकज	07.02.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
4.	संतोष रावत	15.07.1984	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
5.	कमल कुमार	13.10.1988	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
6.	वीरेश मिश्रा	04.09.1985	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
7.	अभिजीत सिंह	14.10.1987	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
8.	रितेश मांडे	03.06.1985	पदोन्नति पर	(कण्णूर हवाई अड्डा),सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
9.	रोहित खत्री	04.05.1985	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
10.	बालेश्वर कुमार झा	02.06.1979	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

11.	चेतन गुप्ता	05.11.1984	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
12.	रामलाल	11.10.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
13.	अनंत विक्रम सिंह	20.04.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
14.	विवेक कुमार त्रिवेदी	01.12.1989	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
15.	शशिकांत सिंह	02.10.1982	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
16.	श्याम सुन्दर शर्मा	10.03.1984	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
17.	परिवेश कुमार स्वामी	23.01.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
18.	गौरव वत्स	31.12.1989	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
19.	सुधीर खान जे	02.04.1973	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
20.	शिवकुमार वी के	09.03.1987	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
21.	नीता सुकुमारन	02.07.1975	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
22.	मनीष के आर	14.07.1989	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
23.	सिलीष पी एम	05.02.1987	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
24.	अमन ग्रोवर	30.01.1987	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन
25.	विनु आर	05.03.1975	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
26.	अभिनव सिंह बिष्ट	02.08.1985	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड
27.	दोरशाला जगदीश कुमार रेड्डी (अस्थि विकलांग)	17.11.1986	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम
28.	गीतिका चिब	19.03.1984	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय, कोच्चि
29.	भूपाल कुमार	12.02.1987	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (निवारक)

				आयुक्तालय, कोचिन
30.	भास्करनाथ	05.08.1987	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई कोच्चि आंचलिक इकाई, सीसीओ -सीसीए
31.	सैंतिल कुमार एम	14.09.1975	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि	डीजीजीआई कोच्चि आंचलिक इकाई, सीसीओ -सीसीए

2. हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए तैनात है।

3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **22.01.2024** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

4. लेखा परीक्षा आयुक्तालय और डीजीजीआई में तैनात अधिकारियों के मामले में, रिलीविंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को राहत दी जा रही है, वे राहत की तारीख को सतर्कता के दृष्टिकोण से साफ़ हैं।

5. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

6. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

7. दिनांक **25.01.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड
3. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त, कोच्चि
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(लेखा परीक्षा), कोच्चि
5. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क(अपील), कोच्चि
6. अपर महा निदेशक, डीजीजीआई/डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/कोच्चि
7. अपर /संयुक्त आयुक्त, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुम्बाशेरी

8. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप / सहायक आयुक्त
9. तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि के उप /सहायक आयुक्त
10. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
11. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कोयिक्कोड/सीमा शुल्क निवारक, लेखा परीक्षा, कोच्चि
12. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
13. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/41/2020-Estt दिनांक : 08.01.2024

स्थापना आदेश सं.: 4 / 2024

विषय: केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

आदेश संख्या 113/ 2023 दिनांक 16.08.2023 के आंशिक संशोधन में, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप / सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन में निम्नलिखित परिवर्तनों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है:

2. श्रीमती शांति वी., उप आयुक्त को समीक्षा का प्रभार सौंपा गया है। श्री थॉमस सी ए, सहायक आयुक्त को विधिक एवं डीजीएआरएम का प्रभार सौंपा गया है | रंजित शांतकुमार, सहायक आयुक्त को कल्याण, खेल एवं मुख्यालय का प्रभार सौंपा गया है | आगे, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के कार्यालय आदेश सं.02/2024 (डीजीएचआरडी/एसी-डीसी/278/2023) दिनांक 04.01.2024 के अनुसारश्री माइकल टी एच, सहायक आयुक्त को केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क इडूक्की मंडल,श्री शशिधरन, सहायक आयुक्त को केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क त्रिश्शूर मंडल तथा श्री रामस्वामी एस., सहायक आयुक्त को केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क काक्कनाड मंडल के प्रभार सौंपे गए हैं |

3. तदनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच संशोधित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारी नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	सी.टी. बिंदु	का.व सत., सिस्टम्स, प्रशासन एवं लेखा	शरतचंद्रन एम	शांति वी
2	थॉमस सी ए	विधिक और डीजीएआरएम	एन. एस. जयश्री	सी.टी. बिंदु
3	रंजित शांतकुमार	न्यायनिर्णयन, आधारिक संरचना कल्याण, खेल एवं मुख्यालय	अजिता पी	आर षैजु
4	एन. एस. जयश्री	तकनीकी, ससंद प्रश्न, आरऍफ़डी एवं सांख्यिकी	रंजित शांतकुमार	अजिता पी
5	अजिता पी	लेखा परीक्षा एवं कर बकाया वसूली	आर षैजु	रंजित शांतकुमार
6	शरतचंद्रन एम	अपवंचनरोधी, मुकदमा एवं	सी.टी. बिंदु	थॉमस सी ए

		सत्यापन कक्ष		
7	आर षैजु	सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी) एवं प्रशिक्षण	शांति वी	एन. एस. जयश्री
8	शांति वी	समीक्षा	थॉमस सी ए	शरतचंद्रन एम
9	माया चंद्रन	आलुवा मंडल	माया कुरियन	रामस्वामी एस
10	हारिसण एंटणी	एर्णाकुलम मंडल	रामस्वामी एस	अनिल राज आर
11	रामस्वामी एस	काक्कनाड़ मंडल	अनिल राज आर	हारिसण एंटणी
12	माया कुरियन	चालक्कुडी मंडल	शशिधरन	माइकल टी एच
13	शशिधरन	त्रिश्शूर मंडल	माया चंद्रन	माया कुरियन
14	अनिल राज आर	पेरुम्बावूर मंडल	माइकल टी एच	शशिधरन
15	माइकल टी एच	इडुक्की मंडल	अनिल राज आर	रामस्वामी एस

टी.जी.वेंकटेश

[टी जी वेंकटेश]

आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर/ संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप सहायक आयुक्त/,केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक) सिस्टम्स(केकर एवं . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु .कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.: GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

आदेश सं.: 03/2024

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के निरीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनातियां -संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	आदर्श के	23.10.1996	कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आदेश के तहत	चालक्कुडी मंडल

2. अधिकारी को दिनांक **11.01.2024** तक अपने नए तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना है।
3. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |
4. दिनांक **15.01.2024** तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

[टी जी वेंकटेश]
आयुक्त

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रति : 1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ),अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता)कोच्चि
3. अधीक्षक (ईडीपी) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT दिनांक : 08.01.2024

आदेश सं.: 02/2024

विषय : हवलदार के ग्रेड में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवलदार के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	...से	..को
1.	डेन देव अम्बाडन, हवलदार	20.12.1987	कार्यग्रहण करने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	श्रीराज पी, हेड हवलदार	20.03.1968	(हवाई अड्डा/यूबी/ आई व ई, करिपूर) को स्थानांतरण आदेश के अधीन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड में ही रखा गया
3.	बिनुमोन टी पी हेड हवलदार	19.05.1975	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोयिक्कोड	हवाई अड्डा/यूबी/आई व ई, करिपूर)सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय,कोचिन

2. हवाई अड्डे//यूबी/आई व ई पर तैनात अधिकारी प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर उन्हें पहले स्थानांतरित करने के विभाग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए तैनात है।

3. पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारी को अपने नए स्थान पर दिनांक **22.01.2024** तक कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए | निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होने पर पर्यवेक्षक अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे |

4. तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले अधिकारी के कोई अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा |

5. यह मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

6. दिनांक 25.01.2024 तक अनुपालन रिपोर्ट करें |

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[सी टी बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड / तिरुवनंतपुरम/कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा,कोच्चि
4. सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त ,कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील,कोच्चि

प्रति

1. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी सभी उप /सहायक आयुक्त
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/,प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
4. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ),केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
5. अधीक्षक (सत./मु.) , केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम कोयिक्कोड / सीमा शुल्क (निवारक)/ लेखा परीक्षा आयुक्तालय
6. अधीक्षक (सिस्टम्स) - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
7. राजभाषा अनुभाग - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(3)/1/2024-Estt **दिनांक:05.01.2024**

आदेश सं.:1/2024

विषय : निजी सचिव के कैडर में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित आशुलिपिक को, ऐसे भत्ते, जो भारत सर्कार द्वार समय समय पर स्वीकृत हैं, सहित एवं 44,900-1,42,400 रुपये के वेतन मेट्रिक्स में स्तर - 7 में निजी सचिव के संवर्ग में पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है | अधिकारी को वर्तमान तैनात स्थान पर रखा जाता है |

क्रम सं.	नाम (श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1	जगादीश पिल्लै	15.05.1972	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

2. उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक **07.01.2024** को या उसके बाद तथा दिनांक **15.01.2024** तक कार्यभार ग्रहण करना चाहिए अन्यथा इस आदेश को रद्द माना जाएगा | इनकार, यदि कोई हो, तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्हें पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का.ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार प्रयोग करने के बाद विकल्प अंतिम होगा |

3 अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **22.01 .2024** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम

प्रति :

1. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय/ ई डी पी/जन संपर्क अधिकारी), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
3. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. तिरुवनंतपुरम
4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/2/2024 - ESTT

परिपत्र

विषय : - एजीटी (वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण) 2024 - तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीन कार्यरत अधिकारियों द्वारा ईसेवानिधि आवेदन में डेटा का अद्यतन - सम्बंधित |

तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीन काम करने वाले ग्रुप ख और ग्रुप ग कैडरों के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को तुरंत eSevanidhi एप्लिकेशन (eSevanidhi.in/login) में अपडेट करें। एप्लिकेशन में लॉग इन करने के लिए, अधिकारी अपने उपयोगकर्ता नाम के रूप में अपने पैन नंबर और पहले बनाए गए पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। नए पंजीकृत अधिकारियों के लिए,डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 'cca' है | अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे लॉगिन स्क्रीन के ऊपरी दाएँ ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध 'चेंज पासवर्ड' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड बदलें।

2. चूंकि अधिकारियों के व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को विभाग के पास उपलब्ध डेटा से माइग्रेट किया गया है, इसलिए सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे एजीटी 2022 के समय के अपने व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को सत्यापित करें और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक परिवर्तन करें। हालांकि, एजीटी, 2023 के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करते समय, यह देखा गया कि कुछ अधिकारियों ने अपने डेटा को ठीक से अपडेट नहीं किया था। इसलिए सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को देखें और इसे ठीक से अपडेट करें। जिन फील्डों (सूचनाक्षेत्रों) में 'माइग्रेटेड' दिखाया गया है, वहां उपलब्ध ड्रॉप डाउन मेनू से सही डेटा दर्ज किया जाना चाहिए। 'ऑफिसर' मॉड्यूल के अंतर्गत विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू का विवरण इस परिपत्र के अनुबंध में दिया गया है। **डेटा को अद्यतन करने /जोड़ने के बाद, अधिकारी को संपूर्ण डेटा की सत्यता की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए।**

3. डेटा को संपादित और अद्यतन करने के बाद, इसे सत्यापन अधिकारी को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, जो संबंधित प्रभाग/मुख्यालय का प्रशासनिक अधिकारी होगा। सत्यापन हेतु डेटा प्रस्तुत करने के लिए, अधिकारी को 'AGT' मॉड्यूल पर जाना होगा और ड्रॉप डाउन में 'मेसेज' का चयन करना होगा। 'ऐड मेसेज' बटन पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेनू से संबंधित सत्यापन अधिकारी का चयन करें, सत्यापन के लिए अनुरोध करते हुए एक संदेश टाइप करें और उसे 'सेव' करें । यदि ड्रॉप डाउन मेनू में प्रशासनिक अधिकारी का नाम उपलब्ध नहीं है, तो मामले को अद्यतन करने के लिए कोच्चि आयुक्तालय के स्थापना अनुभाग को सूचित किया जा सकता है।

4. प्रशासकीय अधिकारियों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करना होगा और प्राप्त सत्यापन अनुरोधों को 'सीसीए' मॉड्यूल के 'वेरिफिकेशन' ड्रॉप डाउन मेनू में देखा जा सकता है। प्राप्त अनुरोधों की सत्यता की जांच अधिकारी की सेवा पुस्तिका में उपलब्ध आंकड़ों से की जानी चाहिए। यदि जिस अधिकारी से अनुरोध प्राप्त हुआ है वह उसके प्रभार में नहीं है या उसे समुचित रूप से अद्यतन नहीं किया गया है, तो अनुरोध अधिकारी को वापस किया जा सकता है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने विवरण के साथ-साथ अग्रेषण अधिकारी (संबंधित प्रभाग/मुख्यालय के उप/सहायक आयुक्त) के विवरण को वेरिफिकेशन /फोर्वार्डिंग (सत्यापन/अग्रेषण) मॉड्यूल में अद्यतन करवा लें।

5. **व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास का प्रस्तुतीकरण/सत्यापन 25.01.2024 तक पूरा किया जाना चाहिए।**

6. इस सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, एजीटी प्रोफार्मा को ऑनलाइन भरने के लिए अधिकारियों के लिए एनुअल जनरल ट्रान्सफर (वार्षिक सामान्य स्थानांतरण) मॉड्यूल सक्रिय हो जाएगा।

7. यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को अद्यतन करने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकारी स्थापना/सिस्टम अनुभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं।

8. गलत / अपूर्ण डेटा जमा करने को गंभीरता से लिया जाएगा। डेटा को अपडेट करने में अधिकारियों द्वारा और डेटा के सत्यापन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

प्रति प्रस्तुत है :

1. **मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र**
2. **आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय**
3. **प्रधान अपर महानिदेशक /अपर महानिदेशक, डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि / डीजीजीआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि / नासिन, कोच्चि**

प्रति

1. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक)/ अपील कोच्चि आयुक्तालयों के अपर /संयुक्त आयुक्त**
2. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त**
3. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के सभी डीडीओ**
4. **मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रधान**
5. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के सभी कर्मचारी संघों के सभी महा सचिव**
6. **अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि [वेबसाइट में अपलोड करने हेतु]**
7. **हिंदी कक्ष [हिंदी रूपांतर हेतु]**
8. **सूचना पट्ट, मुख्यालय, कोच्चि**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(12)/1/2021 - ESTT **दिनांक : 17.01.2024**

समयबद्ध

विषय : - वर्ष 2023-24 के लिए सीधी भर्ती वाले कर सहायक के सेवा - स्थायीकरण हेतु विभागीय परीक्षा के संबंध में।

वर्ष 2023-24 के लिए सीधी भर्ती वाले कर सहायकों के सेवा-स्थायीकरण के लिए अगली विभागीय परीक्षा दिनांक 18.03.2024 से दिनांक 20.03.2024 तक आयोजित की जाएगी।

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण अंक	दिनांक	समय
1	पेपर-1: सीमा शुल्क कानून (पुस्तकों के साथ)	100	50	18.03.2024	10.00 से 13.00 बजे तक
2	पेपर 2 (बी): केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर मूल्यांकन आदि।	100	50	18.03.2024	14.00 से 17.00 बजे तक
3	पेपर 3: कंप्यूटर एप्लिकेशन और इंटरनेट के उपयोग में दक्षता	100	50	19.03.2024	10.00 से 13.00 बजे तक
4	पेपर 4: आर्थिक और वाणिज्यिक भूगोल और सामान्य ज्ञान	100	50	19.03.2024	14.00 से 17.00 बजे तक
5	पेपर 5: प्रशासन (**केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 को छोड़कर** पुस्तकों के साथ)	100	50	20.03.2024	10.00 से 13.00 बजे तक
6	पेपर 6: हिंदी लिखित पेपर -80 अंक हिंदी वार्तालाप और पठन में प्रवीणता - 20 अंक	100	50	20.03.2024	14.00 से 16.00 बजे तक

2. प्रत्येक पेपर के लिए विस्तार से पाठ्यक्रम इस पत्र के लिए अनुबंध-ए के रूप में संलग्न है।

3 कोच्चि कमिश्नरी और सीसीओ के सीधी भर्ती वाले कर सहायक, जिन्होंने पहले सेवा-स्थायीकरण परीक्षा में भाग नहीं लिया है/ उत्तीर्ण नहीं हुआ है, इस कार्यालय में दिनांक **02.02.2024** तक अपनी लिखित इच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। **यह सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि के बाद परीक्षा में उपस्थित होने के किसी भी अनुरोध पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।**

4. जिन उम्मीदवारों ने अपना मैट्रिक या समकक्ष या उच्चतर परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण की है, उन्हें हिंदी में परीक्षा देने से छूट दी गई है। ऐसे उम्मीदवारों को छूट हेतु अपनी इच्छा के आवेदन के साथ अपने प्रासंगिक प्रमाण पत्र (फोटोकॉपी) भी प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार अपनी इच्छा के साथ अपना प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें हिंदी परीक्षा से छूट नहीं दी जाएगी।

[सी.टी.बिंदु]
उप आयुक्त[का व सत]

प्रति प्रस्तुत है :

1. **मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र**
2. **आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि**

प्रति

1. **कोच्चि आयुक्तालय के सभी मंडल कार्यालयों के केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप /सहायक आयुक्तयोग्य अधिकारियों, इसे पात्र अधिकारियों को परिचालित करने के लिए**
2. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शु मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रधान**
3. **अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि [वेबसाइट में अपलोड करने हेतु]**
4. **सूचना पट्ट, मुख्यालय, कोच्चि**

/1846508/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

ORDER No. 98/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 85/2024 dated 15.03.2024 the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	PERMEET SINGH	14.07.1999	*UOT to Kochi Commissionerate*	Hqrs Kochi
2	JIBIN P V	02.01.1996	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Division
3	SHEKHAR YADAV	01.07.1994	*UOT to Kochi Commissionerate*	Audit Section, Hqrs Kochi
4	ANJANA A	24.02.1995	*UOT to Kochi Commissionerate*	Review Section, Hqrs, Kochi

2. The officers are to join their new place of posting latest by**22.03.2024.**

3. No representation shall be entertained from the officers before their joining the new place of posting.

4. Report compliance by **25.03.2024**.

Signed by Venkatesh T G
Date: 21-03-2024 13:34:46
Reason: Approved

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

done 02/05-2024

/1846508/2024

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax ,Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.
2. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.
3. The Superintendent (EDP) – for uploading in website.
4. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **DATE: .03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 97/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90744)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024,**SHRI. SREEHARI K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **12.03.2024 (F.N).**

2. **SHRI. SREEHARI K**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. SREEHARI K** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry

06/05/2024

of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

26/3/2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. SREEHARI K,
APPATE HOUSE, PULIYACODE P O,
KUZHIMANNA, MALAPPURAM,
KERALA, PIN 673641

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: .03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 96/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90709)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. HIMANSHU** a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **11.03.2024 F.N**

2. **SHRI. HIMANSHU** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. HIMANSHU** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry

done 07/05/2024

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. HIMANSHU
C-287/b , GALI NO- 12 ,
BHAJANPURA, NORTH EAST
DELHI, DELHI- 110053

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **DATE: 03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 95 /2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 93921)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SAMYA SHIT**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **11.03.2024 F.N**

2. **SHRI. SAMYA SHIT** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. SAMYA SHIT** is not fit for permanent absorption or if at any time during

07/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. SAMYA SHIT,
IDGAMAHALLA / NEW FEMIN ROAD /
POST AND PS AND DISTRICT -
PURULIA, PURULIA WEST BENGAL

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date: .03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 94/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90700)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **Ms. ANJANA A**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **11.03.2024 F.N**

2. **Ms. ANJANA A** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant *DoPT O.M.s* in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. ANJANA A** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such

07/05/2024

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

MS. ANJANA A ,
HN- AJIMANDIRAM , PUTHENKAVU ,
POOTHOTTA COLONY , TOWN-
MANAKUNNAM , P.S- UDAYA , P.O-
POOTHOTTA, DIST- ERNAKULAM, KERALA
PINCODE - 682307

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: .03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 93/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90705)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **Ms. DIPIKA CHOWDHURY**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **11.03.2024 F.N**

2. **Ms. DIPIKA CHOWDHURY** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. DIPIKA CHOWDHURY** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent

done 07/05/2024

absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

Ms. DIPIKA CHOWDHURY,
VILL-BAZRAPUKUR , PO- NAYABAZAR, PS-TAPAN , DIST- DAKSHIN DINAJPUR, 733142 , WEST BENGAL

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-EST **DATE: .03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 92/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90697)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. NIKHIL VAIBHAV**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **07.03.2024 F.N**

2. **SHRI. NIKHIL VAIBHAV** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. NIKHIL VAIBHAV** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

07/05/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. NIKHIL VAIBHAV,
96, SUDARSHAN PLACE, VISHAL NAGAR, OFFICERS COLONY, NEAR AIIMS, JANIPUR ROAD , PHULWARI SHARIF , DIST- PATNA BIHAR , 801505

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **DATE: .03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 91/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90720)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SHEKHAR YADAV**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **07.03.2024 F.N**

2. **SHRI. SHEKHAR YADAV** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. SHEKHAR YADAV** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption

done 07/05/2024

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. SHEKHAR YADAV,
VILLAGE - BAMHROLI, MOTH, JHANSI,
UTTAR PRADESH, PIN 284303

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: .03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 90/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90683)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. ASHISH KUMAR**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **07.03.2024 F.N**

2. **SHRI. ASHISH KUMAR** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ASHISH KUMAR** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 07-05-2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. ASHISH KUMAR ,
S/O SHRI JAYANTI PRASAD ,
DWARIKA PURAN COLONY ,
TUNDLA , DIST- FIROZABAD , PIN-283204 , UTTAR PRADESH

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: .03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 89/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90717)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. MOHIT KUMAR**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **07.03.2024 F.N**

2. **SHRI. MOHIT KUMAR** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. MOHIT KUMAR** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption

done 07/05/2024

on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. MOHIT KUMAR ,
G-512, PUNJABI COLONY, NARELA
DELHI-40, NEAR SHANI DEV
MANDIR PIN-110040

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date: .03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 88 /2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90735)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. JIBIN P V**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. .A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **07.03.2024 (F.N).**

2. **SHRI. JIBIN P V**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. JIBIN P V** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such

07/05/2024

period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

16.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. JIBIN P V,
THAZHE VEETTIL,
PERUMBAZHASSI,
ARALAM, KANNUR,
KERALA, PIN - 670704

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT DATE: 03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 87/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90711)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024,**SHRI. PERMEET SINGH**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR (PWD-Other)** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.03.2024 F.N**

2. **SHRI. PERMEET SINGH** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. PERMEET SINGH** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 07/05/2024

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS/OH certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS/OH candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. PERMEET SINGH,
1/42 , SHRADHA PURI ,
PHASE-1 , KANKER KHERA
, MEERUT, UTTAR
PRADESH - 250001

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: .03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 86/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90740)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. NANDU RAMACHANDRAN**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **06.03.2024 F.N**

2. **SHRI. NANDU RAMACHANDRAN** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. NANDU RAMACHANDRAN** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 07/05/2024

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. NANDU RAMACHANDRAN,
MALAYILTHADIKKATTU HOUSE,
PULIYANNOOR P O, THEKKUMMURY,
KOTTAYAM, KERALA, PIN 686573

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

9. Hindi Cell – for Hindi Version.

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

/1830841/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

ORDER No. 85 /2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No.	Name	Date of birth	From	To
1	VINAYKRISHNA K.P	23.07.1998	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2	AJANMA RANA	17.08.1997	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
3	SHAHUL HAMEED	03.01.1998	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
4	MOHD NAEEM	15.08.1999	New recruit (CGLE 2023)	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

done 02/05/2024 03

5	NANDU RAMACHANDRAN	21.09.1998	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
6	PERMEET SINGH	14.07.1999	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
7	JIBIN P V	02.01.1996	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
8	MOHIT KUMAR	01.04.1996	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
9	ASHISH KUMAR	20.04.1995	New recruit (CGLE 2023)	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
10	SHEKHAR YADAV	01.07.1994	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11	NIKHIL VAIBHAV	24.06.1992	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
12	DIPIKA CHOWDHURY	23.05.2002	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
13	ANJANA A	24.02.1995	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

/1830841/2024

14	SAMYA SHIT	24.10.1995	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
15	HIMANSHU	02.10.1995	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
16	SREEHARI K	12.12.1995	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

2. The officers are to join their new place of posting latest by **18.03.2024.**

3. No representation shall be entertained from the officers before they join their new place of posting.

4. Report compliance by **20.03.2024.**

5. This is issued with the approval of Chief Commissioner, Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Signed by Venkatesh T G
Date: 15-03-2024 13:16:27
Reason: Approved

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram/Kozhikode/Customs (Preventive)/Audit/Appeals**
2. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Zonal Unit, Kochi.**
3. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

4. The Deputy/Asst. Commissioner in Kozhikode/Custom Preventive/ Audit /Thiruvananthapuram, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Custom Preventive/Audit, Kochi/Appeals, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit/Appeals.
7. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
8. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1818146/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

ORDER No. 84/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

In partial modification to Order No. 80/2024 dated 05.03.2024 the following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	MEHTA DHAVAL RAJANIKANT	02.08.1990	UOT to Kochi Commissionerate (posted to Arrear Section)	RTI/Training/Arrears Section, Hqrs, Kochi

2. The officer is to join his new place of posting latest by **07.03.2024.**

3. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.

4. Report compliance by **11.03.2024**.

5. This is issued with the approval of Commissioner

Signed by
Rani C R
Date: 11-03-2024 18:39:22

[Rani C R]
Additional Commissioner (P&V)

done
03/05/2024

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

/1818146/2024

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax ,Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.
2. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.
3. The Superintendent (EDP) – for uploading in website.
4. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT DATE: 03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 83/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90719)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024,**SHRI. MOHD NAEEM**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **05.03.2024 F.N**

2. **SHRI. MOHD NAEEM** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. MOHD NAEEM** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 08/05/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. MOHD NAEEM
WARD NO 9, MOHALLA
SAIFIYAN, NEAR MEETHA
QUWA, DASANA, GHAZIABAD,
UTTAR PRADESH, PIN 201302

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

9. Hindi Cell – for Hindi Version.

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **Date: .03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 82 /2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90737)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SHAHUL HAMEED**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F.No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **05.03.2024 (F.N).**

2. **SHRI. SHAHUL HAMEED**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. SHAHUL HAMEED** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption

done 08/05/2024

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

26.3.2024

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To

SHRI. SHAHUL HAMEED ,
BISMI MANZIL, 101 JUNCTION,
HOUSE NO 491, ATHIRAMPUZHA P O, KOTTAYAM, PIN 686562

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

File No. GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI (Computer No. 1053360)
Generated from eOffice by NIKITHA THOMAS, EA(NT)-Estt-CGST-COK, EXECUTIVE ASSISTANT-ESTABLISHMENT, CGST-Commissionerate-Kochi on 03/05/2024 01:42 PM

I/18[redacted]011/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **Date: 05.03.2024**

ORDER NO. 81/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/90672)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, **Shri. Abhishek Pandey,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **EWS category** vide letter A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 19.12.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **05.03.2024 (F.N).**

2. **Shri. Abhishek Pandey** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

done 03/05/2024

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No.16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 05-03-2024 16:31:41

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Abhishek Pandey,
S/o Shri. Sikandar Pandey,
Vill- Ranipur Kayasth,
Post-Kadipur, Sultanpur,
Uttar Pradesh-228145.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1801041/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

ORDER No. 80/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 42/2024 dated 01.03.2024 the following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1	SIMON PETER	22.04.2000	*UOT to Kochi Commissionerate*	Chalakudy Range
2	VISHNU M R	26.10.2001	*UOT to Kochi Commissionerate*	Aluva Range
3	JULIA MATHEW	14.01.1999	*UOT to Kochi Commissionerate*	Eloor Range
4	ANURAG VISHWAKARMA	25.06.1991	*UOT to Kochi Commissionerate*	Systems, Hqrs, Kochi
5	RACHANA K	09.10.2001	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Range 2
6	MANU KRISHNAN M	22.09.2001	*UOT to Kochi Commissionerate*	Paravur Range
7	NIRMAL JOSE	16.05.1995	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Division
8	SHAHIL	16.02.1996	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Range 4
9	ANITA KUMARI	13.01.2001	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Range 5

done
06/05/2024

10	NISAGH M T	12.11.1995	*UOT to Kochi Commissionerate*	Chalakudy Division
11	MEHTA DHAVAL RAJANIKANT	02.08.1990	*UOT to Kochi Commissionerate*	Arrear Section, Hqrs Kochi

2. The officers are to join their new place of posting latest by**07.03.2024.**

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **11.03.2024**.

5. This is issued with the approval of competent authority.

Signed by
Rani C R
Date: 05-03-2024 11:16:43

[Rani C.R.]
Additional Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax ,Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.
3. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.
4. The Superintendent (EDP) – for uploading in website.
5. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1801033/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt **Date: 04.03.2024**

ORDER NO. 79/2024

Sub: Postings in the grade of Executive Assistant – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg

The following postings in the grade of Executive Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri./Kum.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Nikitha Thomas	25.09.2000	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Establishment Section, Hqrs Kochi
2.	Amarnath A.R.	24.03.1997	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Anti Evasion Section, Hqrs Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 05-03-2024 11:15:26
[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals.

done
06/05/2024

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

/1801033/2024

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems)/Superintendent (Vigilance)/ Superintendent (Anti Evasion), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: 6.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 78/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90677)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. YOGESH KUMAWAT** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.02.2024 F.N**

2. **SHRI. YOGESH KUMAWAT** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. YOGESH KUMAWAT** is not fit for permanent absorption or if at any time

done 08/03/2024

during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. YOGESH KUMAWAT,
WARD NO. - 08 , VPO - MAONDA KHURD,
NEEM KA , THANA- SIKAR ,
332711 , RAJASTHAN

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: 6.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 77/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90733)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. VISHNU M R** a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **12.02.2024 A.N**

2. **SHRI. VISHNU M R** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. VISHNU M R** is not fit for permanent absorption or if at any time during

08/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. VISHNU M R
MELOOT HOUSE, KANJIRASSERY,
IRUNILAMKODE P O, MULLURKARA, THRISSUR,
KERALA, PIN 680583

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:6.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 76/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90730)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. VINAYKRISHNA K P** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **01.03.2024 F.N**

2. **SHRI. VINAYKRISHNA K P** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. VINAYKRISHNA K P** is not fit for permanent absorption or if at any time

done 08/05/2024

during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. VINAYKRISHNA K P,
KOTTARATH PARAMBIL HOUSE,
EDAYUR POST, POOKKATTIRI,
MALAPPURAM, KERALA,
PIN 676552

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अपत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:6 .03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 75/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90736)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **Ms. VEENA A VENU**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **16.02.2024 (F.N).**

2. **Ms. VEENA A VENU**, is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Ms. VEENA A VENU** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done
09/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

MS. VEENA A VENU,
TC 41/1931, MRA -80, MANACAUD P O,
THIRUVANANTHAPURAM-9

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-EBTT. DATE:26.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 74/2024

(Thiruvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90712)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SWATANTRA KUMAR SINGH** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.02.2024 F.N**

2. **SHRI. SWATANTRA KUMAR SINGH** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. SWATANTRA KUMAR SINGH** is not fit for permanent absorption or if at

done
09/05/2024

any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. SWATANTRA KUMAR SINGH,
B-2 1004, BHARAT CITY, TEELA MOR ,
INDRAPRASTHA YOJNA LONI, GHAZIABAD,
UTTER PRADESH-201102

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: 8.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 73/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90676)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SITARAM YADAV** a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **28.02.2024 A.N**

2. **SHRI. SITARAM YADAV** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. SITARAM YADAV** is not fit for permanent absorption or if at any time

done
09/05/2024

during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. SITARAM YADAV,
VILL - NANGAL TULSIDAS , POST- BHANPUR KALAN , TEHSIL- JAMWARAMGRAH , DIST.- JAIPUR , 302028 RAJASTHAN

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 72/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90750)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SIMON PETER**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **12.02.2024 (A.N).**

2. **SHRI. SIMON PETER**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. SIMON PETER** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done 10/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. SIMON PETER,
ALENGADEN HOUSE,
PULIYANIPARAMBU, WEST
CHALAKKUDY, THRISSUR, KERALA,
PIN 680307

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 71/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90710)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SHAKEEL AHMAD** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **22.02.2024 A.N**

2. **SHRI. SHAKEEL AHMAD** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. SHAKEEL AHMAD** is not fit for permanent absorption or if at any time

done
10/05/2024

during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. SHAKEEL AHMAD,
WARD NO. -04 , CHIKITSALYA, KELAKHERA ,
DIST- UDHAM SINGH NAGAR,
UTTARJAMD -263150
UTTARAKHAND

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 70/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90738)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SHAHIL**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.02.2024 (F.N).**

2. **SHRI. SHAHIL**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. SHAHIL** is not fit for permanent absorption or if at any time during such

10/05/2024

period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. SHAHIL,
SAGORPUR VILLAGE, SAKRI THANA,
MADHUBANI DISTRICT,
PIN 847239

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **DATE:06.03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 69/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90760)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. SAHIL KUMAR GUPTA**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **21.02.2024 (F.N).**

2. **SHRI. SAHIL KUMAR GUPTA**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that,

done
10/05/2024

SHRI. SAHIL KUMAR GUPTA is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. SAHIL KUMAR GUPTA,
PLOT NO 46, POCKET-A , PHASE-2 ,
J.J.COLONY, MADANPUR KHADAR, DIST-
SOUTH EST DELHI - 110076

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 68/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90680)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. RAVI YADAV** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.02.2024 F.N**

2. **SHRI. RAVI YADAV** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. RAVI YADAV** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 10/05/2024

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. RAVI YADAV,
VILLAHE- SHINLI , POST- BIHAR,
THANA- PATAN , DIST- SIKAR
RAJASTHAN 332718

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.

6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 67/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90701)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. RAHUL** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.02.2024 F.N**.

2. **SHRI. RAHUL** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. RAHUL** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 10/05/2024

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. RAHUL,
H.N- 171 , BLOCK-B , DABUA COLONY,
NIT FARIDABAD , P.S- DABUA COLONY,
P.S- FARIDABAD HARYANA 121001

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**

6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 66/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90753)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **Ms. RACHANA K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **14.02.2024 (F.N).**

2. **Ms. RACHANA K**, is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Ms. RACHANA K** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done
10/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

MS. RACHANA K,
MIG-74 , SECTOR-2 , SHANKAR NAGAR,
RAIPUR, CG , 492004 , CIVIL LINES
POLICE STATION , CHHATTISGARH

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **DATE:06.03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 65/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90728)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. PRAVEEN KUMAR T** a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **14.02.2024 F.N**

2. **SHRI. PRAVEEN KUMAR T** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that

done
10/05/2024

SHRI. PRAVEEN KUMAR T is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. PRAVEEN KUMAR T
35-C, TYPE 3 QUARTERS, BLOCK 12, NEYVELI,
PIN 607803

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 64/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90684)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. PRABHAT KUMAR PANDEY** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **20.02.2024 F.N**

2. **SHRI. PRABHAT KUMAR PANDEY** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. PRABHAT KUMAR PANDEY** is not fit for permanent absorption or if at

done 10/05/2024

any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. PRABHAT KUMAR PANDEY,
VILL- LOALCHATHPUR ,
MAHARUWAGOLA, AMBEDKARNAGAR,
PIN- 224231 UTTAR PRADESH

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **DATE:06.03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 63/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90751)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. NISAGH M T**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **22.02.2024 (F.N).**

2. **SHRI. NISAGH M T**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. NISAGH M T** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done 10/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. NISAGH M T,
MALIPARAMBIL HOUSE,
MALI TEMPLE ROAD, VALLACHIRA P O,
THRISSUR, KERALA
PIN 680562

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 62/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90749)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **Ms NIRMAL JOSE**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.02.2024 (F.N).**

2. **Ms NIRMAL JOSE**, is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Ms NIRMAL JOSE** is not fit for permanent absorption or if at any time during

10/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

Ms NIRMAL JOSE,
THODUPUZHATHOTTATHIL HOUSE,
NAZARETH HILL P O, KURAVILANGADU,
KOTTAYAM, KERALA - 686633

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2023

ESTABLISHMENT ORDER NO. 61/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90678)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. NANDKISHOR PRAJAPAT** a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **14.02.2024 F.N**

2. **SHRI. NANDKISHOR PRAJAPAT** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that

done 13/05/2024

VII | 2 | 0 | 0

SHRI. NANDKISHOR PRAJAPAT is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. NANDKISHOR PRAJAPAT
SALASAR RAOD, KRISHI MANDI KE SAMNE ,
SUJANGARH, THANA- SUJANGARH , THE - SUJANGARH , DIST- CHURU, 331507 ,
RAJASTHAN

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 60/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90746)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. MANU KRISHNAN M**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.02.2024 F.N**

2. **SHRI. MANU KRISHNAN M** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that

13-05-2024

SHRI. MANU KRISHNAN M is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. MANU KRISHNAN M,
MADHAVAM, PUNNAPRA PO,
ALAPPUZHA, PIN 688004

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: 06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 59/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90731)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. KIRAN D S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **12.02.2024 A.N**

2. **SHRI. KIRAN D S** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. KIRAN D S** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done 13-05-2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. KIRAN D S
KIRANAM HOUSE, KONOTT POST,
KUNNAMANGALAM, KOZHIKODE, KERALA,
PIN 673571

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: 06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 58/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90702)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **Ms. KARISHMA KUMARI**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **16.02.2024 A.N**

2. **Ms. KARISHMA KUMARI** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that

done
13/05/2024

Ms. KARISHMA KUMARI is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates *(applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates)*.

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

MS. KARISHMA KUMARI,
VISHWAKARMA NAGAR, GANJPAR, BARBIGHA ,
DIST- SHEIKHPURA , THANA- BARBIGHA,
PIN- 811101, BIHAR

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. 190 DATE: 04.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 57/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90721)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. KAMLESH KUMAR YADAV** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.02.2024 F.N**

2. **SHRI. KAMLESH KUMAR YADAV** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. KAMLESH KUMAR YADAV** is not fit for permanent absorption or if at any

done 14/05/2024

time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. KAMLESH KUMAR YADAV,
VILL-CHIMANPURA, TEHSIL- SHANPURA,
DIST- JAIPUR, RAJASTHAN
PIN 303103

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **DATE:06.03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 56/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90757)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **Ms. JULIA MATHEW**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **14.02.2024 (F.N).**

2. **Ms. JULIA MATHEW**, is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **Ms. JULIA MATHEW** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done 13/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

MS. JULIA MATHEW,
PADINJAKARA HOUSE, MARIYIL PIPE
LINE ROAD, ASOKAPURAM, ALUVA P O,
ERNAKULAM, PIN 683101

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 55/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90732)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. JASEEM MOHAMMED K**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **16.02.2024 F.N**

2. **SHRI. JASEEM MOHAMMED K** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that

done 13/05/2024

SHRI. JASEEM MOHAMMED K is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. JASEEM MOHAMMED K,
KANNACHETH HOUSE, HOUSE NO 5, MANGADA
PALLIPURAM P O , MALAPPURAM, KERALA,
PIN 679324

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date: 06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 54/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90742)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on12.02.2024, **SHRI. HARINAND A**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **12.02.2024 (A.N).**

2. **SHRI. HARINAND A**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. HARINAND A** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done 15/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. HARINAND A
NANTHANAM CHEVAYOOE,
PULIKKAL P O, CHERUKAVU VILLAGE,
MALAPPURAM, KERALA
Pin 673637

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 53/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90739)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. GOVIND ANIL**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **16.02.2024 (F.N).**

2. **SHRI. GOVIND ANIL,** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. GOVIND ANIL** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done 24/06/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. GOVIND ANIL,
III/382, INDHEEVARAM, PAPPANKADU,
POLPULLY P O, PALAKKAD, KERALA,
PIN 678552

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: 06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 52/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90713)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. GAURAV YADAV** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.02.2024 F.N**

2. **SHRI. GAURAV YADAV** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. GAURAV YADAV** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not

done 13/05/2024

be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. GAURAV YADAV,
H.NO-882 , SECTOR -3 , VPO-BHARAWAS
REWARI, DIST- REWARI ,
HARYANA -123401

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-EST DATE:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 51/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90727)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. DEVESH KUMAR SINGH** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **SC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **23.02.2024 F.N**

2. **SHRI. DEVESH KUMAR SINGH** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. DEVESH KUMAR SINGH** is not fit for permanent absorption or if at any

time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. DEVESH KUMAR SINGH,
C26, PRATEEK ENCLAVE,
KAMLA NAGAR,
AGRA, UP -282005

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. **DATE: 06.03.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 50/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90691)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. AVI GAUTAM** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.02.2024 F.N**

2. **SHRI. AVI GAUTAM** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. AVI GAUTAM** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

26/06/2024

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. AVI GAUTAM,
NAGLA BIRJI , POST- BARHAN ,
THE- ETMADPUR, DIST- AGRA ,
PIN- 283201 , UTTER PRADESH

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**

6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. DATE: 06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 49 /2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90723)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. ANURAG VISHWAKARMA**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **14.02.2024 F.N**

2. **SHRI. ANURAG VISHWAKARMA** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that

done 26/06/2024

SHRI. ANURAG VISHWAKARMA is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. ANURAG VISHWAKARMA,
C/O- SHEKHAR ELECTRONICS, CINEMA ROAD,
VILL-HALUDBANI, PS- PARSUDIH, DIST- EAST
SINGHBHUM, JAMSHEDPUR (TATANAGAR) ,
831002 JHARKHAND

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT DATE: 06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 48/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90734)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. ANSHAD J** , a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **14.02.2024 F.N**

2. **SHRI. ANSHAD J** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. ANSHAD J** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 27/06/2024

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. ANSHAD J,
J N NIVAS, VENGODE, KUDAVOOR P O,
KEEZH THONNAKKAL VILLAGE,
THIRUVANATHAPURAM, KERALA,
Pin 695313

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**

5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date: 06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 47/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90679)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **Ms. ANITA KUMARI**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12 .2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **OBC** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **19.02.2024 F.N**

2. **Ms. ANITA KUMARI** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Ms. ANITA KUMARI** is not fit for permanent absorption or if at any time during

dow 25/06/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

MS. ANITA KUMARI,
VPO - SANKHANTAL , THE- RAJGARH , DIST- CHURU , THANA- HAMEERWAS , PIN- 331303 , RAJASTHAN

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date: 06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 46/2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/90681)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. AJANMA RANA**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **EWS** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **04.03.2024 F.N.**

2. **SHRI. AJANMA RANA** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.s*** in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **SHRI. AJANMA RANA** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for

done 13.05.2024

permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates *(applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates)*.

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. AJANMA RANA,
NH-81 NAGLA DALSAHAY NAHCHANI ,
DIS-AGRA PIN-283122 ,
UTTAR PRADESH

Copy Submitted to:

1. ***The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.***
2. ***The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.***

Copy to:

1. ***The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.***
2. ***The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.***
3. ***The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.***
4. ***The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.***
5. ***The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.***

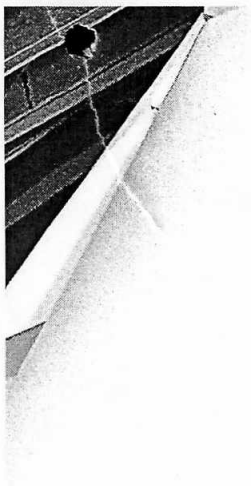

6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date:06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 45 /2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90743)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. ADWAITH S**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **13.02.2024 (F.N).**

2. **SHRI. ADWAITH S**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. ADWAITH S** is not fit for permanent absorption or if at any time during

done 13/05/2024

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. ADWAITH S
1S/119/1A, SOUPARNIKA,
ASHOK NAGAR, KALLIANKAUD,
CHUNKANKADAI, ALOOR,
KANNYAKUMARI, TAMIL NADU
Pin 629003

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/49/2023-ESTT. Date: 06.03.2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 44 /2024

(Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/INSPECTOR/ 90729)

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2023 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, communicated after the Rozgar Mela held on 12.02.2024, **SHRI. ABHED M A**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. . A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 18.12.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **UR** category, is appointed, subject to verification of character and antecedents, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **28.02.2024 (F.N).**

2. **SHRI. ABHED M A**, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that, **SHRI. ABHED M A** is not fit for permanent absorption or if at any time during

such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No. 16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

5. Hindi version follows.

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. ABHED M A,
KOMPARA PUTHEN VEEDU,
ODANAVATTOM P O,
KOLLAM,KERALA,
PIN 691512

Copy Submitted to:

1. The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.
2. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
5. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
6. The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.
7. The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.
9. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1800853/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2022-ESTT **DATED: 03.2024**

ORDER NO. 43 /2024

Sub :- Revision in Seniority List of Inspectors – Implementation of Hon'ble CAT order dated 07.02.2023 in OA No.341/2022 filed by Shri Shahid Idrisha & Ors.– reg.

The draft seniority list of Inspectors as on 01.01.2023 was issued on 27.04.2023 with the seniority of the following Inspectors placed at Sl.No. 744, 781, 742 and 743 of the list. These officers shown in the table below recruited against additional result of SSC CGLE-2011 and CGLE-2012 were appointed in 2019, 2022 and 2018 in this Zone and their seniority had been fixed as per Board's allocation letters F.No. A. 12034/SSC/05/2012- Ad.III(B) and F.No. A. 12034/SSC/02/2012-Ad.III(B).

SL. NO.	Sl.No. assigned in Draft Senioirty List	NAME OF THE OFFICER	DOB	DATE OF APPT. IN THE GRADE	DATE OF CONFRMN. IN THE GRADE	CGLE BATCH & RANK
1.	744	SANJEEV KUMAR	03.08.1989	23.07.2019	25.05.2022	CGLE 2011 Addl. RANK 2366
2.	781	PARDEEP KUMAR	20-03-1991	29-04-2022	Yet to be Confirmed	CGLE 2012 (Addl.) RANK 2116
3.	742	POOJA GUPTA	06.12.1985	23.07.2018	07.03.2021	CGLE 2012 (Addl.) RANK 2661
4.	743	DEEPAK	15.03.1990	22.05.2018	22.05.2020	CGLE 2012 Addl. RANK 2896

28/06/2024
01/07/2024
03/07/2024
04/07/2024
05/07/2024
08/07/2024
09/07/2024

2. However, Board has vide letter F.No.A.32022/110/2019-Ad.IIIA dated 10.1.2024 conveyed its acceptance of Hon'ble CAT, New Delhi order dated 7.2.2023 in OA No.341/2022 filed by Shri Shahid Idrisha & Ors and has directed all the CCAs to extend the benefit of the decision to the similar candidates appointed on the basis of additional result of the SSC CGLE-2012 [but joined later on different dates] by giving notional seniority as per their rank order in CGLE-2012 and consequential benefits as per applicable provisions.

3. Similarly, Board has vide letter F.No.A.32022/40/2023-Ad.IIIA dated 13.02.2024 decided to extend the same benefit to the candidates appointed on the basis of additional result of SSC CGLE-2011 [but joined later on different dates] by giving notional seniority as per their rank order in CGLE- 2011 and consequential benefits as per applicable provisions.

4. Accordingly, in terms of above-referred Board's letters dated 10.1.2024 and 13.02.2024 and in supersession to the seniority lists published earlier in this zone w.r.t. Inspectors, the seniority of Inspectors of CGLE-2011 and CGLE-2012 appointed earlier and that of the aforementioned candidates appointed later from additional results of CGLE-2011 and 2012 stands revised as per their rank order in SSC CGLE-2011 and SSC CGLE- 2012 as shown here-under :

Revised seniority list of Inspectors appointed from SSC CGLE 2011 and SSC CGLE 2012 including DR Inspector candidates from additional result of SSC CGLE 2011 and SSC CGLE 2012 and Inspectors promoted in vacancy year 2013 to 2014 revised in terms of boards letter F.No.A.32022/110/2019-Ad.IIIA dated 10.1.2024 and F.No.A.32022/40/2023-Ad.IIIA dated 13.02.2024.

Sl.No. assigned in Final Seniority List	NAME	DOB	DATE OF APPT. IN THE GRADE	CGLE BATCH & RANK
310	MANJU KRISHNADAS	13-12-1986	03-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1229
311	GULSHAN KUMAR	08-11-1985	17-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1264
312	PRAFULL BHANDARI	28-03-1991	25-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1308
313	SAKET SINGH DHILLON	03-11-1984	27-08-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1320
314	NAUSAD RAHAMAN S.K.	20-05-1987	24-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1323
315	BADAL GAFFOOR A.	13-05-1986	06-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1332
316	AASHISH BATRA	09-04-1986	17-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1351
317	ASHOK KUMAR	31-12-1985	27-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1368
318	GEETIKA CHIB	19-03-1984	26-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1396
319	ARVIND KUMAR KAJLA	19-08-1985	30-01-2013	CGLE 2011 RANK SL/I/1399

320	NITISH BHARDWAJ	14-11-1987	03-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1412
321	MRIDUL KUMAR SINGH	22-06-1985	28-12-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1422
322	SUDHIR DABAS	26-05-1984	31-08-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1432
323	ARVIND GULIA	24-10-1986	06-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1451
324	GAUTAM KUMAR	01-01-1986	24-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1459
325	RAKESH SANGWAN	02-09-1985	17-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1461
326	RAJNEESH	20-03-1983	31-12-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1468
327	PATEL UTSAV KIRITKUMAR	21-09-1989	17-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1470
328	PANKAJ	07-02-1986	23-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1485
329	SANTOSH RAWAT	15-07-1984	03-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1504
330	ANURADHA KUMARI	19-03-1986	27-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1517
331	AMIT KHATRI	19-09-1986	05-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1521
332	RAHUL GUPTA	16-04-1983	17-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1523
333	KAMAL KUMAR	13-10-1988	25-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1526
334	SHATRUGHAN KUMAR	02-01-1989	26-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1534
335	VIRESH MISHRA	04-09-1985	14-03-2013	CGLE 2011 RANK SL/I/1538
336	ABHIJEET SINGH	14-10-1987	24-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1543
337	RAVINDRA MARUTI PALKAR	16-08-1982	19-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1545
338	AAKASH WAL	10-10-1986	26-11-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1546
339	RITESH MAANDAY	03-06-1985	27-08-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1564
340	ASHA	17-11-1985	17-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1565
341	ROBIN GOYAL	20-06-1985	06-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1568
342	ROHIT KHATRI	04-05-1985	18-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1573
343	BALESHWAR KUMAR JHA	02-06-1979	28-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1578

344	CHETAN GUPTA	05-11-1984	05-11-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1581
345	DEBASIS JYOTIPRAKASH NAYAK	10-06-1987	25-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1609
346	RAMLAL	11-10-1986	17-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1615
347	ANANT VIKRAM SINGH	20-04-1986	26-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1664
348	AADRITA CHAKRABORTY	11-12-1987	26-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1667
349	VIMAL RAWAT	24-12-1986	26-12-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1676
350	RAJEEV KUMAR SHARMA	20-08-1988	06-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1704
351	DAVINDER CHODHA	18-03-1988	31-08-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1725
352	VIVEK KUMAR TRIVEDI	01-12-1989	27-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/1727
353	JOGENDRA SINGH	21-07-1986	08-02-2013	CGLE 2011 RANK SL/I/2151
354	KIRAN SHARMA	26-08-1981	03-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2152
355	AJAY RAI	05-03-1984	26-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2192
356	RAVI KUMAR	28-05-1988	03-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2210
357	RAMESH KUMAR	20-09-1985	22-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2218
358	SHASHI KANT SINGH	02-10-1982	28-02-2013	CGLE 2011 RANK/SL/I/2237
359	CHINGTHAM NANDKUMAR SINGH	02-04-1983	17-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2243
360	VIPIN YADAV	02-10-1986	30-08-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2326
361	BANTI KUMAR	14-02-1990	06-12-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2327
362	VISHAL KUMAWAT	18-07-1987	04-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2338
363	SANJEEV KUMAR NO.2	10-11-1984	17-01-2013	CGLE 2011 RANK SL/I/2345
363 A	**SANJEEV KUMAR**	**03.08.1989**	**23.07.2019**	**CGLE 2011 (Addl.) RANK 2366**
364	SUNIL NAGAR	12-11-1981	06-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2379
365	SHYAM KUMAR SHARMA	10-03-1984	03-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2406

366	PARIVESH KUMAR SWAMI	23-01-1986	04-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2413
367	BAL MUKUND	22-06-1986	04-12-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/2937
368	SANDEEP KUMAR	04-02-1988	24-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/3065
369	PANCHAM KATARIA	10-04-1987	04-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/3101
370	RAJ KUMAR	10-04-1984	29-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/3118
371	KAILASH CHAND DAYAMA	14-10-1988	01-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/3124
372	AJEET KUMAR	08-07-1983	23-10-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/3130
373	PRAVINDER SINGH	13-04-1986	31-08-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/3143
374	RAJ KUMAR	12-05-1987	06-09-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/3180
375	GAGANDEEP RAJ	06-01-1982	16-11-2012	CGLE 2011 RANK SL/I/3182
376	RATNAKARAN T.	18-11-1956	07-02-2013	
377	GAURAV VATS	31-12-1989	03-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/0901
378	SURAJ S.K.	01-04-1990	16-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/1083
379	SUDHEER KHAN J	02-04-1973	07-02-2013	
380	ANKUR	01-06-1992	09-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/1310
381	SIVAKUMAR V.K.	09-03-1987	04-12-2013 A/N	CGL 2012 RANK SL/I/1647
382	NEETA SUKUMARAN	02-07-1975	07-02-2013	
383	MANEESH K.R.	14-07-1989	29-11-2013	CGL 2012 RANK SL/I/1675
384	SILEESH P.M.	05-02-1987	30-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/1701
385	JAYASANKAR P	25-05-1963	07-02-2013	
386	VISHNU S.MENON	27-05-1989	12-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/1853
387	AMAN GROVER	30-01-1987	15.10.2014	CGL 2012 RANK SL/I/2057
388	VINU R	05-03-1975	07-02-2013	
389	NITIN KUMAR GUPTA	25-10-1988	29-11-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2075

389 A	**PARDEEP KUMAR**	**20-03-1991**	**29-04-2022 F.N**	**CGLE 2012 (Addl.) RANK 2116**
391	SUNDARAN P.G.	21-03-1959	07-02-2013	
390	SAMIDH BASU	05-03-1985	12-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2262
392	ABHINAV SINGH BISHT	02-08-1985	09-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2359
394	YASER ARAFATH K	19-09-1978	07-02-2013	
393	NISHANT SAXENA	28-08-1990	11-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2360
395	MAHADEV	25-09-1988	24-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2361
397	HAMEED K.K.	10-04-1974	07-02-2013	
396	BHUPAL KUMAR	12-02-1987	16-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2425
398	SANDEEP NAIN	21-05-1985	03-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2480
400	SALIM KUMAR S.	20-05-1969	07-02-2013	
399	DEEPAK	15-07-1988	12-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2489
401	DINESH KUMAR	20-11-1989	03-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2507
403	BHASKARAN K.P.	02-11-1956	07-02-2013	
402	AKSHAY SINGH BHADAURIA	26-10-1990	09-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2510
402 A	**POOJA GUPTA**	**06.12.1985**	**23.07.2018**	**CGLE 2012 (Addl.) RANK 2661**
406	SUJATHA VIJAYAN	09-11-1977	07-02-2013	
404	ARJUN KRISHNA	03-02-1988	09-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2673
405	SARWAN KUMAR	07-05-1990	09-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2730
409	SIVARAJAN S	25-05-1959	07-02-2013	
407	KAPIL GARG	25-06-1990	10.02.2014	CGL 2012 RANK SL/I/2770
408	SONU KUMAR	04-06-1988	30-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2881
410	AJEET KUMAR GUPTA	07-09-1990	09-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2889

411	AJEET SINGH CHOUDHARY	17-08-1988	30.01.2014	CGL 2012 RANK SL/I/2892
411 A	**DEEPAK**	**15.03.1990**	**22.05.2018**	**CGLE 2012 (Addl.) RANK 2896**
412	SURAJ GUPTA	11-01-1987	29-11-2013	CGL 2012 RANK SL/I/2966
413	ALOK KUMAR SONI	23-07-1987	06-01-2014	CGL 2012 RANK SL/I/2991
414	SANDEEP KUMAR	15-08-1983	16-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/3002
415	ARPIT JAIN	13-07-1992	29-11-2013	CGL 2012 RANK SL/I/3029
416	SANDEEP KUMAR	07-11-1989	09-12-2013	CGL 2012 RANK SL/I/3073

5. The revision of seniority is subject to the final outcome of OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/ Tribunals.

Signed by Venkatesh T G
Date: 05-03-2024 09:51:44
Reason: Approved

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To,

The Individuals (through the supervisory officer concerned)

Copy to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
6. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
7. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
8. **The Additional Director General, NACIN, Zonal Campus, Kochi.**

/1800853/2024

Copy to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram/ Audit/ CCP/ Appeals.**
2. **The Deputy/Asst. Commissioner in charge of AP/ UB, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kannur.**
3. **The Superintendent (SYSTEMS) – for uploading in website.**
4. **The General Secretary, All India Central Excise Inspector's Association, Kerala Circle.**

/1795005/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

ORDER No. 42/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No.	Name (S/Shri./Smt.) & Designation	DOB	From	To
1	SIMON PETER	22.04.2000	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2	HARINAND A	18.04.1998	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3	VISHNU M R	26.10.2001	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
4	KIRAN D S	12.03.1998	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
5	ADWAITH S	23.10.1997	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

06/05/2024

6	JULIA MATHEW	14.01.1999	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
7	ANSHAD J	02.09.1997	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
8	PRAVEEN KUMAR T	19.09.1999	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
9	ANURAG VISHWAKARMA	25.06.1991	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
10	RACHANA K	09.10.2001	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
11	NANDKISHOR PRAJAPAT	03.01.2002	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
12	GOVIND ANIL	14.02.2001	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
13	VEENA A VENU	20.08.1997	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
14	JASEEM MOHAMMED K	17.04.1998	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
15	KARISHMA KUMARI	07.09.2001	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
16	MANU KRISHNAN M	22.09.2001	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

17	NIRMAL JOSE	16.05.1995	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
18	SHAHIL	16.02.1996	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
19	AVI GAUTHAM	12.08.2002	New recruit (CGLE 2023)	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
20	KAMLESH KUMAR YADAV	15.05.1998	New recruit (CGLE 2023)	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
21	GAURAV YADAV	20.11.1999	New recruit (CGLE 2023)	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
22	RAVI YADAV	22.07.1999	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
23	YOGESH KUMAVATH	01.06.2003	New recruit (CGLE 2023)	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
24	ANITA KUMARI	13.01.2001	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
25	PRABHAT KUMAR PANDEY	05.08.1996	New recruit (CGLE 2023)	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
26	RAHUL	28.08.1993	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
27	SWATANTRA KUMAR SINGH	15.08.1994	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode

28	SAHIL KUMAR GUPTA	14.02.1994	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
29	NISAGH M T	12.11.1995	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
30	SHAKEEL AHMAD	04.11.1999	New recruit (CGLE 2023)	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
31	DEVESH KUMAR SINGH	29.09.1993	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
32	ABHED M A	04.05.1999	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
33	SITARAM YADAV	20.06.1997	New recruit (CGLE 2023)	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
34	MEHTA DHAVAL RAJANIKANT	02.08.1990	New recruit (CGLE 2022)	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
35	JAMES AUGUSTINE	12.02.1969	(Airport, Thiruvananthapuram), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
36	RAM KISHORE K	05.11.1993	Ernakulam Range 5	(Airport, Karippur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

2. The officers are to join their new place of posting latest by**07.03.2024.**

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central

Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by **11.03.2024**.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy
Date: 01-03-2024 17:13:33

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
3. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.
7. All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.
8. The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
9. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.
10. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.
11. The Superintendent (EDP) – for uploading in website.
12. Hindi Cell – for Hindi Version.

/1795035/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt **Date: .02.2024**

ORDER NO. 41/2024

Sub: Postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name & Designation (S/Shri./Kum.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Nikitha Thomas, EA	25.09.2000	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
2.	Anakha Krishnan, EA	28.01.2000	On joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
3.	Amarnath A.R., EA	24.03.1997	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
4.	Anagha R. Nair, TA	10.12.1999	On joining	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
5.	Krishna R., TA	23.01.2000	On joining	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
6.	Vinoy V., TA	05.09.2000	On joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

done 14/05/2024

7.	Sanjay Thomas John, TA	29.03.1999	On joining	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 01-03-2024 17:17:49

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Kozhikode/Thiruvananthapuram/Audit.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems)/Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1770125/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt-Part(1) **Date: 21.02.2024**

ORDER NO. 40/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/90671)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, **Shri. Sanjay Thomas John,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **UR category** vide letter A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 19.12.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **21.02.2024 (F.N).**

2. **Shri. Sanjay Thomas John** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 14/05/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No.16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 21-02-2024 17:03:51

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Sanjay Thomas John,
S/o Shri. Thomas John,
TC 15/4057, L-18 A,
LIC - A Lane, Pattom, Thiruvananthapuram,
Kerala - 695004.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1772706/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/11/2/2020-Estt **Date: 21.02.2024**

ORDER NO. 39/2024

Sub: Confirmation in the grade of Stenographer Grade-I - Reg

In accordance with the instructions contained in O.M. No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019 and O.M. No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), the following Stenographers Grade-I of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in their grade with effect from the dates shown against their names:

Sl. No.	Name (S/Shri./Kum.)	Date of birth	Date of Confirmation
1.	Archita Mohan	24.08.1996	12.10.2023
2.	KM Nargish Jahan	25.12.1995	12.10.2023
3.	Puneet	31.07.1996	11.10.2023
4.	Omkar Singh	12.08.1997	07.10.2023

2. Necessary entries may be made in the service books of the individuals.

3. Hindi version follows.

done 14/05/2024

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy
Date: 22-02-2024 14:57:35

[T.G. Venkatesh]
Commissioner

I/1772706/2024

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram/Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1762629/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **Date: 19.02.2024**

ORDER NO. 38/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/90669)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, **Shri. Vinoy V.,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant (belongs to OBC category and allocated under UR category) vide letter A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 19.12.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **19.02.2024 (F.N).**

2. **Shri. Vinoy V.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 14/05/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No.16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 19-02-2024 15:27:16

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Vinoy V,
S/o Shri. Vijayan P.,
TC 21/1490,
Chirakuzhimele Thattu Veedu,
Nedumcaud, Karamana P.O.,
Thiruvananthapuram,
Kerala - 695002.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1775331/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt **Date: 19.02.2024**

ORDER NO. 37/2024

Sub: Posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	C.P. Pranav	31.05.1997	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Accounts (Paybill) Section, Hqrs Kochi

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Signed by
Sarath Chandran Meleppurath
Date: 23-02-2024 16:11:57

[Sarath Chandran M.]
Assistant Commissioner [P&V]

done 14/05/2024

To

The individual.

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs,**

I/1775331/2024

Kochi.

2. **The Superintendent (Systems)/Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1758879/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **Date: 16.02.2024**

ORDER NO. 36/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/90667)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, **Ms. Krishna R.,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **UR category** vide letter A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 19.12.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **16.02.2024 (F.N).**

2. **Ms. Krishna R.** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

done 16/05/2024

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy

Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No.16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 16-02-2024 15:18:15

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Ms. Krishna R.,
D/o Shri. Rajesh Kumar K.N.,
Dwaraka TC 33/2975,
Kachani, Nettayam P.O.,
Thiruvananthapuram, Kerala - 695013.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/17744[illegible]/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/50/2023-Estt-Part(1) **Date: 16.02.2024**

ORDER NO. 35/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/EXECUTIVE ASSISTANT/90685)

Sub: Appointment to the grade of Executive Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, **Shri. Amarnath A.R.,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Executive Assistant under **UR category** vide letter A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 19.12.2023, is appointed as Executive Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **15.02.2024 (F.N).**

2. **Shri. Amarnath A.R.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 14/05/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No.16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

Signed by Venkatesh T G
Date: 22-02-2024 18:38:41
Reason: Approved

[T.G. Venkatesh]
Commissioner

To

Shri. Amarnath A.R.,
S/o Shri. R.C. Pillai,
House No. 89, Laxmana Nagar,
Asramom P.O., Kollam,
Kerala - 691002.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1759302/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT **Date: .02.2024**

ORDER NO. 34/2024

Sub: Transfer & Postings in the grade of Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	From	Posted to
1	Rahul V.S.	27.02.1988	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	CRU/Administration, Hqrs, Kochi

2. This is issued with the approval of Competent Authority.
3. Hindi Version follows.

Signed by
Sarath Chandran Meleppurath
Date: 16-02-2024 16:17:15

[Sarath Chandran M.]
Assistant Commissioner (P&V)

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned).

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

done 14/5/2024

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Superintendent (Vig./Systems/Hqrs) Central Tax & Central Excise, Kochi.
4. Official Language Section – for Hindi Version.

/1775362/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT **Date: .02.2024**

ORDER NO. 33/2024

Sub: Transfer & Postings in the grade of Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	From	Posted to
1	A.V. Anil Kumar	31.05.1983	UOT to Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	Hqrs, Kochi

2. This is issued with the approval of Competent Authority.
3. Hindi Version follows.

done 14/05/2024

Signed by
Sarath Chandran Meleppurath
Date: 23-02-2024 16:15:21

[Sarath Chandran M.]
Assistant Commissioner (P&V)

To:
The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)
Copy submitted to:
1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.

/1775362/2024

Copy to:

1. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.
2. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Superintendent (Vig./Systems/Hqrs) Central Tax & Central Excise, Kochi.
4. Official Language Section – for Hindi Version.

I/1757995/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/34/2023-ESTT. **Date: .02.2024**

ESTABLISHMENT ORDER NO. 32/2024

Sub: Appointment to the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise through Staff Selection Commission CGLE 2022 – Reg.

On acceptance of this Central Tax & Central Excise Commissionerate's offer of appointment of even no. dated 22.09.2023, communicated after the Rozgar Mela held on 26.09.2023, **Shri. Mehta Dhaval Rajnikant**, a candidate nominated by Staff Selection Commission vide Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi's letter F. No. A.12034/SSC/07/2022-Ad.III.B dated 08.08.2023 for appointment as Inspector of Central Tax & Central Excise under **S C** category, is appointed, subject to verification of character, antecedents and caste certificate, as Inspector of Central Tax & Central Excise in temporary capacity, in Level–7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400/-) with effect from **11.01.2024 (F.N).**

2 Shri. Mehta Dhaval Rajnikant, is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The appointing authority may, if he thinks fit, extend the period for probation. The successful completion of probation in respect of the candidate is subject to fulfillment of necessary conditions such as passing of departmental examination within the probation period, completion of mandatory induction training, and also prescribed attendance necessary during the probation period, etc., as per the relevant ***DoPT O.M.***s in this regard.

3. Before the expiry of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, if the appointing authority is of the opinion that **Shri. Mehta Dhaval Rajnikant** is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiry of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 14/05/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the SC / ST / OBC / EWS certificate being verified through proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC / ST/ EWS / OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code or any other Act, for the time being in force, for production of false certificates (*applicable in respect of SC/ST/OBC/EWS candidates*).

5. Hindi version follows.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy
Date: 16-02-2024 12:54:18

[VENKATESH T G]
COMMISSIONER

To

SHRI. MEHTA DHAVAL RAJANIKANT
A-10, PARTH PARK, NEAR RANESHWAR TEMPLE VASNA ROAD, VADODARA, GUJARAT, PIN 390012

Copy Submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.III.(B)), Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise & Customs, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi-110066.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram /Kozhikode.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
5. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
6. **The Administrative Officer (DDO)/ Pay Bill Section Central Tax & Central Excise, Kochi.**
7. **The Superintendent (Confl/Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
8. **The Superintendent (EDP) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1760106/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/50/2023-Estt **Date: 16.02.2024**

ORDER NO. 31/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/EXECUTIVE ASSISTANT/90688)

Sub: Appointment to the grade of Executive Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, **Ms. Anakha Krishnan,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Executive Assistant under **OBC category** vide letter A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 19.12.2023, is appointed as Executive Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **14.02.2024 (F.N).**

2. **Ms. Anakha Krishnan** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

done 14/05/2024

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified

through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No.16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy
Date: 16-02-2024 17:50:16

[T.G. Venkatesh]
Commissioner

To

Ms. Anakha Krishnan,
D/o Shri. Radhakrishnan Divakaran,
Aswathy, Mangalam Nagar-196,
Moonamkutty P.O., Kollam,
Kerala-691015.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1760084/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/50/2023-Estt **Date: 16.02.2024**

ORDER NO. 30/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/EXECUTIVE ASSISTANT/90754)

Sub: Appointment to the grade of Executive Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, **Ms. Nikitha Thomas,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Executive Assistant under **UR category** vide letter A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 19.12.2023, is appointed as Executive Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **14.02.2024 (F.N).**

2. **Ms. Nikitha Thomas** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

done 14/05/2024

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to

belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No.16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi.

6. Hindi version follows.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy
Date: 16-02-2024 17:47:03

[T.G. Venkatesh]
Commissioner

To

Ms. Nikitha Thomas,
D/o Shri. Bijumon Francis,
Ozhakkal House, Thengumkavu P.O.,
Mallassery, Pathanamthitta, Kerala-689646.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/175[redacted]493/2024

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
मुख्य आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, THIRUVANANTHAPURAM ZONE

सी.आर.भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: ccu-cexcok@nic.in/cccochin@nic.in Phone: 0484-2394100/0404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **Date: 15.02.2024**

ADDENDUM

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg.

Reference is invited to Order No. 29/2024 dated 14.02.2024 on the above subject.

2. After paragraph 4 of the above order, the following may be added:

"The appointment is subject to the outcome of W.P.(C) No.16593/2023 filed by Shubham Pal & Ors. before Hon'ble High Court of Delhi".

3. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 15-02-2024 15:50:06

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individual.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise**

done 14/02/2024

I/1755493/2024

Hqrs, Kochi - for uploading on website.

4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1752550/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/48/2023-Estt **Date: 14.02.2024**

ORDER NO. 29/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/90670)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant through SSC – Combined Graduate Level Examination, 2023 – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 09.02.2024, **Ms. Anagha R. Nair,** a candidate allocated by the Ministry for appointment as Tax Assistant under **UR category** vide letter A-12025/2/2023-Ad-IIIB Section-CBEC dated 19.12.2023, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **14.02.2024 (F.N).**

2. **Ms. Anagha R. Nair** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

done 14/02/2024

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy

Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 14-02-2024 15:53:17

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Ms. Anagha R Nair,
D/o Shri. R. Ramachandran Nair,
Sumthrupthy, Pirivusala,
Chandranagar P.O., Palakkad,
Kerala-678007.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

/1754754/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT

ORDER No. 28/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent/Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent/Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	D.O.B	From	To
1	Biju George P, Superintendent	01.02.1971	Vigilance Section, Hqrs, Kochi	Vigilance Section with additional charge of Arrear Cell, Hqrs, Kochi
2	Tojo Davis, Superintendent	18.10.1968	Establishment Section, Hqrs,Kochi	Establishment Section with additional charge of Arrear Cell, Hqrs, Kochi
3	Renjini P S, Superintendent	31.05.1971	Adjudication Section, Hqrs, Kochi	Review Section, Hqrs, Kochi
4	Antony P O, Superintendent	05.04.1967	Ernakulam Division	Ernakulam Range 5
5	Joshua K I, Superintendent	03.04.1966	Ernakulam Range 5	Ernakulam Division

done 15/05/2024

6	Sumeet Samuel, Inspector	28.02.1987	Ernakulam Range 1	Ernakulam Range 1 with additional charge of Kavaratti Range
7	Nikhil S Babu, Inspector	03.09.1994	Vigilance Section, Hqrs, Kochi	Vigilance Section with additional charge of Arrear Cell, Hqrs, Kochi

2. The officers posted on additional charge to Arrear Cell are being posted till 31.03.2024 with a special task of recovery of few high value cases.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **16.02.2024**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. Report compliance by **19.02.2024**.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy
Date: 15-02-2024 13:57:41

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

/1752491/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/9/2024-Estt **Date: 14.02.2024**

ORDER NO. 27/2024

Sub: Transfer and posting in the grade of Driver (Grade-I)- Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Driver (Grade-I) is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Sarjan V.G.	10.10.1969	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	DGGI Kochi Zonal Unit (CCO-CCA)

2 . The above order should be complied with latest by 23.02.2024 and the compliance report should reach this office by 28.02.2024.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

done
15/05/2024

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

igned by
ani C R
ate: 14-02-2024 15:43:21

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Additional Director General, DGGI, Kochi Zonal Unit.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit, Kochi/ Appeals, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vigilance)/Hindi Unit, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

GEXCOM/II/(3)/39/2022-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

I/1733197/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt **Date: 06.02.2024**

ORDER NO. 26/2024

Sub: Postings in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following postings in the grade of Tax Assistant are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri./Kum.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Jeena Janet	07.08.1996	On joining	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
2.	C.P. Pranav	31.05.1997	On joining	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

2. This is issued with the approval of the competent authority.

3. Hindi version follows.

Done
15/05/2024

Signed by
Rani C R
Date: 06-02-2024 17:19:55

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and**

ozhikode.

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Kozhikode.**
2. **The Superintendent (Systems)/Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

I/1733307/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/21/2023-ESTT **Date: 06.02.2024**

ORDER NO. 25/2024

Sub: Transfer & Postings in the grade of Multi-Tasking Staff - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer & posting in the grade of Multi-Tasking Staff of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Rahul V.S.	27.02.1988	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

done 15/05/2024

2. This is issued with the approval of Competent Authority.
3. Hindi Version follows.

Signed by Sarath Chandran Meleppurath
Date: 06-02-2024 17:33:45
Reason: Approved

[Sarath Chandran M.]
Assistant Commissioner (P&V)

2. commissionerate - Kozhikode/TVM

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, uram Zone.**

3. [illegible] Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.
4. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.
6. The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

Copy to:

1. All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Audit Comm'tes.
3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
5. The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode / Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.
6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
7. Official Language Section – for Hindi Version.

Signed by Sarath Chandran Meleppurath
Date: 06-02-2024 17:32:49
Reason: Approved

I/1733235/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2023-ESTT **Date: 06.02.2024**

ORDER NO. 24/2024

Sub: Transfer & Postings in the grade of Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following posting in the grade of Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	From	To
1	Reshma C.B.	16.04.1988	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2	Sajith C.S.	21.12.1988	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Appeals, Kochi
3	Jishnu K.	04.05.1998	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
4	Vineetha T.V.	01.03.1979	On Joining	CCO-CCA
5	Sunil Kumar C.P.	14.05.1978	On Joining	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

16/05/2024

I/1733235/2024

6	Santhosh S.	25.05.1984	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
7	A.V. Anil Kumar	31.05.1983	On Joining	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. This is issued with the approval of Competent Authority.
3. Hindi Version follows.

Signed by Sarath Chandran Meleppurath
Date: 06-02-2024 17:28:56
Reason: Approved

[Sarath Chandran M.]
Assistant Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Audit Comm'tes.**
3. **The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
4. **The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
5. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode / Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.**
6. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
7. **Official Language Section – for Hindi Version.**

I/1717889/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(25)/3/2021-Estt **Date: 01.02.2024**

ORDER No. 23/2024

Sub: Voluntary retirement from service in respect of Shri. Christopher N.A., Head Havaldar - reg.

In terms of the provisions of Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972, the Additional Commissioner (P&V) of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit Shri. Christopher N.A., Head Havaldar, Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division, Kochi Commissionerate to retire voluntarily from Government Service with effect from 01.02.2024 (A.N.) subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representations dated 15.01.2024 and 31.01.2024.

2. It is informed that his request to relax the requirement of notice of three months period has been accepted by the competent authority, subject to the condition that the Government servant shall not apply for commutation of a part of his pension before 15.04.2024 (i.e, the date of expiry of the period of notice of three months). An undertaking to this effect may be submitted by the officer to this office immediately.

3. All dues in respect of Shri. Christopher N.A., Head Havaldar pending if any, may be recovered from his retirement benefits as per rules.

Signed by Sarath Chandran Meleppurath
Date: 01-02-2024 10:16:20

[Sarath Chandran M.]
Assistant Commissioner [P&V]

done 16/05/2024

To

Shri. Christopher N.A.,
Head Havaldar, (Through the Supervisory Officer concerned)
Ernakulam Division, Kochi Commissionerate.

I/1717889/2024

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy Commissioner of Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division.** – He may obtain the declaration as mentioned in para 2 above from the officer and also the 'No due certificate' from AO (DDO)/ Central Excise Co-operative Society, at the time of relief on Voluntary Retirement.
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Kochi.**
4. **The Superintendent (Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **The Secretary, Central Excise Co-operative Society, Kochi.**
7. **Official Language Section– for Hindi Version.**

/1735893/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No. II/(3)/APPT/25/2020-ESTT.

ORDER No. 22/2024

Sub: Proforma Promotion to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise, who are presently working on deputation have been granted Proforma Promotion to the grade of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300-34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from **04.12.2023** i.e., date of promotion of their immediate junior.

Sl. No.	Name(S/Shri/ Smt)	Present Place of Posting	Time limit within which the officer should re-join the parent cadre
1	Asha	Directorate of Enforcement, New Delhi	22.10.2026
2	Amit Khatri	DGGI Hqrs, New Delhi	09.01.2025
3	Kiran Sharma	DRI, Delhi Zonal Unit	29.02.2024
4	Sunil Nagar	Directorate of Enforcement, Sub Zonal Office Jammu	31.05.2025

2. The above mentioned officers working on deputation shall continue to work in the capacity of the post to which they had been selected on deputation, and shall be eligible to draw salary at higher grade only after repatriation from the deputation and after joining the cadre at the promoted post.

3. The effective date of promotion for the purpose of seniority shall remain the date of order of promotion (i.e. **04.12.2023**).

done 20/05/2024 21/22

4. No further extension of deputation period, beyond what is approved, shall be allowed for above mentioned officers opting for proforma promotion.

5. If the officer does not opt for proforma promotion or does not return to accept regular promotion, it shall be deemed that the officer has refused promotion.

6. The competent authority, Central Tax & Central Excise, Kochi has considered the application for Proforma Promotion to the cadre of Superintendent of Central Central Tax & Central Excise in respect of the following officers and decided as under.

Sl. No.	**Name(S/ Shri)**	**Present Place of Posting**	**Decision taken by the competent/appointment authority.**
1	Nishant Saxena	Directorate of Enforcement, New Delhi	Rejected. As per Para 8(iii) of DOPT OM No. 6/8/2009-Estt (PayII) dated 17.06.2010, no extension of deputation beyond the fifth year will be considered. Hence the benefit of proforma promotion cannot be granted.
2	Vipin Yadav	PA-cum-CA, HCI, London (COIN Posting)	Rejected. In the case of deputations where an undertaking forgoing promotional benefits is given at the time of selection (such as in the case of COIN posting), the benefit of proforma promotion cannot be granted.

7. This order is issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy
Date: 07-02-2024 15:26:18

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:
The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:
1. The Chief Commissioner of Central Tax ,Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

/1735893/2024

Copy to:

1. The Director
Directorate of Enforcement, Hqrs Office, Dr. A P J Abdul Kalam Road,
New Delhi - 110011.

2. The Deputy Director (Admn.)
Directorate General of GST Intelligence
West block . 8, Wing No. 6, 2nd Floor, R. K. Puram, New Delhi-110 066

3. The Additional Director (Admn.)
Directorate of Revenue Intelligence, Delhi Zonal 'Unit,
6th Floor, Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003.

4. The Joint Director (Admin)
Directorate of Revenue Intelligence, Hqrs,
New Delhi – 110002

5. The Superintendent (Systems) - for uploading in website.

6. Hindi Cell – for Hindi Version.

I/170[redacted]25/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/6/2024-Estt Date: 24.01.2024

ORDER NO. 21/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/MULTI TASKING STAFF/91116)

Sub: Appointment to the grade of Multi-Tasking Staff on Compassionate grounds– Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment issued vide GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Shri. Rahul V.S.**, a candidate selected for appointment as Multi-Tasking Staff on Compassionate grounds under **OBC category**, is appointed as Multi-Tasking Staff in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level–1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.01.2024 (F.N).**

2. **Shri. Rahul V.S.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is

done 22/05/2024 27 30

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 24-01-2024 18:06:14

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Rahul V.S.,
S/o Late V.N. Sugunan,
Veleeparambil House,
Nettoor P.O., Maradu (Via),
Ernakulam-682040.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1703781/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt Date: 24.01.2024

ORDER NO. 20/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/91112)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Compassionate grounds– Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment issued vide GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Smt. Vineetha T.V.**, a candidate selected for appointment as Havaldar on Compassionate grounds under **OBC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level–1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.01.2024 (F.N).**

2. **Smt. Vineetha T.V.** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

30/05/2024

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 24-01-2024 17:51:29

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Smt. Vineetha T.V.,
W/o late Manojkumar P.R.,
Paratha House, Thoundayil Road,
Panampilly Nagar, Kochi-682036.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/170[redacted]06/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt **Date: 24.01.2024**

ORDER NO. 19/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/91113)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Compassionate grounds– Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment issued vide GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Shri. Sunil Kumar C.P.**, a candidate selected for appointment as Havaldar on Compassionate grounds under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level–1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.01.2024 (F.N).**

2. **Shri. Sunil Kumar C.P.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

done 30/05/2024

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 24-01-2024 17:52:23

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Sunil Kumar C.P.,
S/o Late K. Rajan Nair,
Nellikode House, Kurikkathur P.O.,
Kunnamangalam (Mie),
Kozhikode-673571.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/170[redacted]42/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt Date: 24.01.2024

ORDER NO. 18/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/91114)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Compassionate grounds– Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment issued vide GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Shri. Santhosh S.,** a candidate selected for appointment as Havaldar on Compassionate grounds under **OBC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level–1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.01.2024 (F.N).**

2. **Shri. Santhosh S.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is

30/05/2024

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 24-01-2024 17:56:14

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Santhosh S.,
S/o Late V. Sivankutty,
Siva Bhavan, Thunduvilakam,
Kattakada P.O.,
Thiruvananthapuram-695572.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/17038597/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt Date: 24.01.2024

ORDER NO. 17/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/91108)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Compassionate grounds– Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment issued vide GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Shri. Sajith C.S.,** a candidate selected for appointment as Havaldar on Compassionate grounds under **SC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level–1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.01.2024 (F.N).**

2. **Shri. Sajith C.S.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is

done 30/05/2024
31/03/06/2024

subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 24-01-2024 17:57:24

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Sajith C.S.,
S/o Late Chellappan M.,
Veettilayathu, Kizhakkathil,
Cheravally, Kayamkulam P.O.,
Alappuzha-690502.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/170[redacted]76/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt Date: 24.01.2024

ORDER NO. 16/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/91115)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Compassionate grounds– Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment issued vide GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Shri. A.V. Anil Kumar,** a candidate selected for appointment as Havaldar on Compassionate grounds under **SC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level–1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.01.2024 (F.N).**

2. **Shri. A.V. Anil Kumar** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

done 03/06/2024

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 24-01-2024 18:00:48

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. A.V. Anil Kumar,
S/o Late A.K. Velayudhan,
Athikulangara House, Anitha Nivas,
Kottapuram (P.O.), Erumapetty,
Thrissur-680584.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/170[redacted]74/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2024-Estt **Date: 24.01.2024**

ORDER NO. 15/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/91111)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant on compassionate grounds – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment vide letter GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Shri. C.P. Pranav,** a candidate selected for appointment on compassionate grounds as Tax Assistant under **OBC category**, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **24.01.2024 (F.N).**

2. **Shri. C.P. Pranav** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy

done 03/06/2024

Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 24-01-2024 17:49:54

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. C.P. Pranav
S/o Late Rajani Prabhudas,
Cheroor House, Pranavam, P.B. Road,
Elthuruth P.O., Thrissur-680611.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1700714/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2024-Estt **Date: 23.01.2024**

ORDER NO. 14/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/TAX ASSISTANT/91110)

Sub: Appointment to the grade of Tax Assistant on compassionate grounds – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment vide letter GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Ms. Jeena Janet,** a candidate selected for appointment on compassionate grounds as Tax Assistant under **UR category**, is appointed as Tax Assistant in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **23.01.2024 (F.N).**

2. **Ms. Jeena Janet** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that she will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

done 03/06/2024

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if the verification reveals that her claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy

Layer' as the case may be, is false, her services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 23-01-2024 18:29:36

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Ms. Jeena Janet,
D/o late Shri. K. Babu,
Samvedya Quarters, Kanneelpalam,
P.O. Chalad, Kannur-670014.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1700691/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt Date: 23.01.2024

ORDER NO. 13/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/91107)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Compassionate grounds– Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment issued vide GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Smt. Reshma C.B.,** a candidate selected for appointment as Havaldar on Compassionate grounds under **SC category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level–1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **23.01.2024 (F.N).**

2. **Smt. Reshma C.B.** is informed that she will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate her services or pass such orders as he thinks fit.

done 03/06/2024

4. The above candidate is also informed that her appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

I/1700691/2024

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 23-01-2024 18:26:58

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Smt. Reshma C.B.,
W/o late Shri. P.P. Rajesh,
Chunangad Colony, Chunangad P.O.,
Ottapalam, Palakkad - 679511.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1700687/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/5/2024-Estt **Date: 23.01.2024**

ORDER NO. 12/2024
(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/HAVALDAR/91109)

Sub: Appointment to the grade of Havaldar on Compassionate grounds– Reg.

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's offer of appointment issued vide GEXCOM/II/(3)/63/2021-Estt dated 16.01.2024, **Shri. Jishnu K.,** a candidate selected for appointment as Havaldar on Compassionate grounds under **UR category**, is appointed as Havaldar in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level–1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **23.01.2024 (F.N).**

2. **Shri. Jishnu K.** is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. The above candidate is also informed that his appointment is provisional and is subject to the caste/tribe certificate being verified through the proper channel and if

05/06/2024

the verification reveals that his claim to belong to SC/ST/OBC or in the case of OBC, not to belong to 'Creamy Layer' as the case may be, is false, his services will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action as may be taken under the provision of the I.P.C. or any other Act, for the time being in force, for production of false certificate (applicable in respect of SC/ST/OBC candidates).

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 23-01-2024 18:25:59

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

Shri. Jishnu K.,
S/o Late Raveendran P.,
Soorya Veena, II/88,
Kavungal, Pattuvam P.O.,
Taliparamba, Kannur-670143.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1735875/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/75/2021-ESTT **Date: 19.01.2024**

ORDER No. 10/2024

Sub:- Notional promotion of Smt. P.V. Sujatha, Administrative Officer (Retd.) to the grade of Chief Accounts Officer in compliance of the judgement dated 12.02.2019 of the Hon'ble High Court of Kerala in O.P. (CAT) No. 24 of 2019 - reg.

As per CBIC's letters F.No. A-23011/44/2016-Ad.IIA(Pt.) dated 04.06.2020 & 30.07.2020 and F.No. A-23011/03/2023-Ad.IIA dated 11.01.2024, Smt. P.V. Sujatha, Administrative Officer (Retd.) is hereby promoted notionally to the grade of Chief Accounts Officer (Central Excise) Group 'A', in the pay band PB-3 (Rs. 15600 – 39100/-) with the Grade Pay Rs. 5400/- with effect from 01.04.2010.

2. It is also ordered that her pension and pensionary benefits shall be re-fixed after fixing her pay in the promotion post.

3. This order is issued in compliance with the judgement dated 12.02.2019 of the Hon'ble High Court of Kerala in O.P. (CAT) No. 24 of 2019.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Signed by
Venkatesh Teklur Govindaswamy
Date: 07-02-2024 15:23:50

(T.G. VENKATESH)
COMMISSIONER

done 05/06/2024

To

The Individual. (By Speed Post)

I/1735875/2024

Copy submitted to:

1. **The Under Secretary (Ad.IIA), Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi-110001 with reference to the letter F.No. A-23011/03/2023-Ad.IIA dated 11.01.2024.**
2. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner (Legal), Central Tax and Central Excise, Hqrs, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/ Pay & Accounts Officer, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
4. **Superintendent (Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
5. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Kochi – for uploading in website.**
6. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1684875/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **Date: 16.01.2024**

ORDER NO. 9/2024

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

In partial modification to Order No. 4/2024 dated 09.01.2024, the following changes in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered with immediate effect:

2 . Smt. Shanthi V., Deputy Commissioner is assigned the charge of Legal. Shri. Raja Tomy, Assistant Commissioner is assigned the charge of CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training. Shri. R. Shyju, Assistant Commissioner is assigned the charge of Adjudication & DGARM. Shri. Ranjit Santakumar, Assistant Commissioner is assigned the charge of Review.

3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1st Link	2nd Link
1.	C.T. Bindu	P&V, Systems, Administration & Accounts	Sarath Chandran M.	Shanthi V.
2.	R. Shyju	Adjudication & DGARM	Raja Tomy	Sarath Chandran M.
	Ranjit	Review, Infrastructure,		

done 17/06/2024

3.	Santakumar	Welfare, Sports & Headquarters	Ajitha P.	Raja Tomy
4.	N.S. Jayasree	Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics	Ranjit Santakumar	Ajitha P.
5.	Ajitha P.	Audit & Tax Arrear Recovery	R. Shyju	Ranjit Santakumar
6.	Sarath Chandran M.	Anti Evasion, Prosecution & Verification Cell	C.T. Bindu	N.S. Jayasree
7.	Raja Tomy	CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training.	Shanthi V.	R. Shyju
8.	Shanthi V.	Legal	N.S. Jayasree	C.T. Bindu
9.	Maya Chandran	Aluva Division	Maya Kurian	Ramaswamy S.
10.	Harrison Antony	Ernakulam Division	Ramaswamy S.	Anil Raj R.
11.	Ramaswamy S.	Kakkanad Division	Anil Raj R.	Harrison Antony
12.	Maya Kurian	Chalakudy Division	Sasidharan	Michael T.H.
13.	Sasidharan	Thrissur Division	Maya Chandran	Maya Kurian
14.	Anil Raj R.	Perumbavoor Division	Michael T.H.	Sasidharan
15.	Michael T.H.	Idukki Division	Anil Raj R.	Ramaswamy S.

4. Hindi version follows.

Signed by Venkatesh T G
Date: 16-01-2024 17:35:42
Reason: Approved

[T.G. Venkatesh]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central**

I/1684875/2024

Excise, Kochi Commissionerate.

2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

I/168[redacted]09/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT.

ORDER No. 08/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

Consequent to issue of Inter Commissionerate Transfer Order No. 05/2024 dated 15.01.2024, the following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name of Officer	Date of Birth	From	To
1	Ramlal	11.10.1986	*UOT to Kochi Commissionerate*	Angamaly Range
2	Shasikant Singh	02.10.1982	*UOT to Kochi Commissionerate*	Ernakulam Range 6
3	Gaurav Vats	31.12.1989	*UOT to Kochi Commissionerate*	Kakkanad Range 4
4	Vinu R	05.03.1975	*UOT to Kochi Commissionerate*	Review Section, Hqrs, Kochi
5	Issac Varghese	15.05.1971	Kakkanad Range 4	PRO Section, Hqrs, Kochi

2. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **22.01.2024.** Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. Report compliance by **25.01.2024.**

done 07/06/2024

I/1684909/2024

Signed by
Venkatesh T G
Date: 16-01-2024 17:39:29

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copies to:

1. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
5. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1669827/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **Date: 10.01.2024**

ORDER NO. 7/2024

Sub: Transfer & Postings in the grades of Havaldar & Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer & postings in the grades of Head Havaldar & Havaldar of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name & Designation (S/Shri.)	Date of Birth	From	To
1	Sabu M.J., Head Havaldar	19-03-1967	Chalakudy Division	Irinjalakuda Range
2	Dane Dev Ambadan, Havaldar	20.12.1987	UoT to Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate	Chalakudy Division

2. The above officers must be relieved and should join their new place of posting latest by **17.01.2024**.

3. Report compliance on 19.01.2024.

4. This is issued with the approval of the competent authority.

5. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 10-01-2024 13:04:44

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner [P&V]

done 10/01/2024

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

I/1669827/2024

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Vig.) Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
6. **Official Language Section – for Hindi Version.**

I/1680436/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT **Date: .01.2024**

ORDER No. 06/2023

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1.	NITHIN MATHEW	24.07.1996	*On joining*	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

2. The officer is to join his new place of posting latest by **17.01.2024**.

3. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by **19.01.2024**.

Signed by
Venkatesh T G
Date: 15-01-2024 12:26:58

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

done
10/06/2024

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

I/1680436/2024

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1680[redacted]/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/4/2023-ESTT.

ORDER No. 05/2024

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./ Smt.)	DOB	From	To
1	Mridul Kumar Singh	22.06.1985	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
2	Gautam Kumar	01.01.1986	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
3	Pankaj	07.02.1986	On promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
4	Santosh Rawat	15.07.1984	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

done 10/06/2024

5	Kamal Kumar	13.10.1988	On promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
6	Viresh Mishra	04.09.1985	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
7	Abhijeet Singh	14.10.1987	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
8	Ritesh Manday	03.06.1985	On promotion	(Airport, Kannur), Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
9	Rohit Khatri	04.05.1985	On promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
10	Baleshwar Kumar Jha	02.06.1979	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
11	Chetan Gupta	05.11.1984	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
12	Ramlal	11.10.1986	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
13	Anant Vikram Singh	20.04.1986	On promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
14	Vivek Kumar Trivedi	01.12.1989	On promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi

15	Shasikant Singh	02.10.1982	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
16	Shyam Kumar Sharma	10.03.1984	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
17	Parivesh Kumar Swami	23.01.1986	On promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
18	Gaurav Vats	31.12.1989	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
19	Sudheer Khan J	02.04.1973	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
20	Sivakumar V.K.	09.03.1987	On promotion	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
21	Neeta Sukumaran	02.07.1975	On promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
22	Maneesh K. R.	14.07.1989	On promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
23	Sileesh P.M.	05.02.1987	On promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
24	Aman Grover	30.01.1987	On promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

25	Vinu R	05.03.1975	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
26	Abhinav Singh Bisht	02.08.1985	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
27	Dorasala Jagadeesh Kumar Reddy(OH)	17.11.1986	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram
28	Geetika Chib	19.03.1984	On promotion	Central Tax & Central Excise, Appeals Commissionerate, Kochi
29	Bhupal Kumar	12.02.1987	On promotion	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
30	Bhaskarnath	05.08.1987	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA
31	Senthil Kumar M	14.09.1975	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi	DGGI Kochi Zonal Unit, CCO-CCA

2. The officer posted to Airport is for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by **22.01.2024.** Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. In case of officers posted to Audit Commissionerate and DGGI, the Relieving Officers shall ensure that the officers who are being relieved are clear from vigilance angle, as on date of their relief.

I/16[redacted]424/2024

5. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.

6. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

7. Report compliance by **25.01.2024**.

Signed by
Venkatesh T G
Date: 15-01-2024 12:24:33

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise, Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.**
6. **The Additional Director General, DGGI/ DRI Regional Unit, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.**
7. **The Additional/Joint Commissioner, Cochin International Airport, Nedumbassery.**
8. **All Dy./Asstt. Commissioner in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
9. **The Deputy/Asst. Commissioner in Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
10. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/Custom Preventive/ Audit, Kochi.**
11. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode/ Thiruvananthapuram /CCP / Audit.**
12. **The Superintendent (Systems)) – for uploading in website.**
13. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/16682[illegible]/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **Date: 08.01.2024**

ORDER NO. 4/2024

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

In partial modification to Order No. 113/2023 dated 16.08.2023, the following changes in the work allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate are hereby ordered with immediate effect:

2 . Smt. Shanthi V., Deputy Commissioner is assigned the charge of Review. Shri. Thomas C.A., Assistant Commissioner is assigned the charge of Legal & DGARM. Shri. Ranjit Santakumar, Assistant Commissioner is assigned the charge of Welfare, Sports & Headquarters. Further, as per Office Order No.02/2024 (DGHRD/AC-DC/278/2023) dated 04.01.2024 of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Shri. Michael T.H., Assistant Commissioner has been allocated the charge of Central Tax and Central Excise, Idukki Division, Shri. Sasidharan, Assistant Commissioner has been allocated the charge of Central Tax and Central Excise, Thrissur Division and Shri. Ramaswamy S., Assistant Commissioner has been allocated the charge of Central Tax and Central Excise, Kakkanad Division.

3. Accordingly, the revised work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, is given below:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1st Link	2nd Link

done 13/06/2024 14

1.	C.T. Bindu	P&V, Systems, Administration & Accounts	Sarath Chandran M.	Shanthi V.
2.	Thomas C.A.	Legal & DGARM	N.S. Jayasree	C.T. Bindu
3.	Ranjit Santakumar	Adjudication, Infrastructure, Welfare, Sports & Headquarters	Ajitha P.	R. Shyju
4.	N.S. Jayasree	Technical, Parliament Questions, RFD & Statistics	Ranjit Santakumar	Ajitha P.
5.	Ajitha P.	Audit & Tax Arrear Recovery	R. Shyju	Ranjit Santakumar
6.	Sarath Chandran M.	Anti Evasion, Prosecution & Verification Cell	C.T. Bindu	Thomas C.A.
7.	R. Shyju	CRU, OLIC, RTI (CPIO) & Training.	Shanthi V.	N.S. Jayasree
8.	Shanthi V.	Review	Thomas C.A.	Sarath Chandran M.
9.	Maya Chandran	Aluva Division	Maya Kurian	Ramaswamy S.
10.	Harrison Antony	Ernakulam Division	Ramaswamy S.	Anil Raj R.
11.	Ramaswamy S.	Kakkanad Division	Anil Raj R.	Harrison Antony
12.	Maya Kurian	Chalakudy Division	Sasidharan	Michael T.H.
13.	Sasidharan	Thrissur Division	Maya Chandran	Maya Kurian
14.	Anil Raj R.	Perumbavoor Division	Michael T.H.	Sasidharan
15.	Michael T.H.	Idukki Division	Anil Raj R.	Ramaswamy S.

4. Hindi version follows.

GEXCOM/II/(3)/41/2020-ESTT-O/o Pr COMMR-CGST-KOCHI

I/1668290/2024

Signed by
Venkatesh T G
Date: 09-01-2024 17:57:11

[T.G. Venkatesh]
Commissioner

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

I/1663850/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

File No.: GEXCOM/II/(3)/28/2023-ESTT

ORDER No. 03/2024

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name (S/Shri./Smt.)	DOB	From	To
1.	ADHARSH K	23.10.1996	*UOT to Kochi Commissionerate*	Chalakkudy Division

2. The officer is to join his new place of posting latest by **11.01.2024**.

3. No representation shall be entertained from any officer before his joining the new place of posting.

4. Report compliance by **15.01.2024**.

Signed by
Venkatesh T G
Date: 08-01-2024 16:15:38

[T G VENKATESH]
COMMISSIONER

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise,

done 19/06/2024

I/1663850/2024

Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

I/1664[redacted]0/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/23/2022-ESTT **Date: 08.01.2024**

ORDER NO. 02/2024

Sub: Transfer & Postings in the grade of Havaldar and Head Havaldar - Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone- Reg.

The following transfer and postings in the grade of Havaldar and Head Havaldar of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No.	Name (S/Shri.) & Designation	Date of Birth	Present Commissionerate	Posted To
1	Dane Dev Ambadan, Havaldar	20.12.1987	On joining	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kochi
2.	Sreeraj P., Head Havaldar	20.03.1968	UoT to (Airport/UB/I&E, Karipur)	Retained at Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3.	Binumon T.P., Head Havaldar	19.05.1975	Central Tax and Central Excise Commissionerate, Kozhikode	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The officer posted to Airport/UB/I&E is for a period of 1 (One) year without rejudice to the right of the Department to transfer him earlier on administrative exigencies.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to join their new place of posting latest by

done
19/06/2024

I/1664060/2024

22.01.2024. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

4. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.

5. Report compliance by 25.01.2024.

6. Hindi Version follows.

Signed by
Bindu C T
Date: 08-01-2024 16:40:01

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

To:

The Individuals (Through the Supervisory Officers concerned)

Copy submitted to:

1 . **The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**

2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Kochi.

3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit, Kochi.

4. The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.

5. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals, Kochi.

Copy to:

1. **All Deputy / Assistant Commissioners in charge of Divisions of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**

2. The Deputy / Assistant Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive)/ Appeals/ Audit Comm'tes.

3. The Chief Accounts Officer / Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.

4. The Administrative Officer (DDO) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.

5. The Superintendent (Vig./ Hqrs.) Central Tax & Central Excise, Thiruvanathapuram/ Kochi/ Kozhikode / Appeals/ Audit/ Customs (Preventive) Comm'tes.

6. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.

7. Official Language Section – for Hindi Version.

/1658045/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024 – Estt **Date: 05.01.2024**

ORDER NO. 1/2024

Sub: Promotion to the grade of Private Secretary - Reg

The following Stenographer Grade-I is hereby promoted to the grade of Private Secretary in Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (S/Shri.)	Date of birth	Present place of posting
1.	Jagadeesh Pillai	15.05.1972	Thiruvananthapuram Commissionerate

2. The officer should join the promoted post on or after **07.01.2024** and latest by **15.01.2024** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/Officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **22.01.2024**.

4. This is issued with the approval of the competent authority.

5. Hindi version follows.

Signed by Rani C R
Date: 05-01-2024 12:14:38
Reason: Approved

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

19/06/2024

/1658045/2024

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Thiruvananthapuram.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

I/1669[illegible]9/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोचिच, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

CIRCULAR

Sub: AGT 2024 - Updation of data in eSevanidhi Application by the officers under Thiruvananthapuram Zone – reg.

All the officers of Group B and Group C cadres working under Thiruvananthapuram Zone are requested to update their personal data and history of postings in eSevanidhi Application (esevanidhi.in/login) immediately. For logging in to the application, the officer can use his PAN as his username and the password created earlier. For newly registered officers, the default password is 'cca'. It is necessary for the officers to change their password using the 'Change Password' option available in the top right drop down menu of the login screen.

2 Since the personal data and history of postings of officers have been migrated from the data available with the Department, all officers were requested to verify their personal data and history of postings during the time of AGT 2022 and make necessary changes, wherever needed. However, while processing the applications for AGT 2023, it was noticed that a few officers had not updated their data properly. Hence all the officers are requested to go through

done 09/07/2024

their personal data and history of postings and update the same properly. In the fields where 'Migrated' is shown, correct data must be entered from the drop down menus available. The details of different drop down menus under the 'Officer' module are given in the Annexure to this circular. **After updation/addition of data, the officer should thoroughly verify the entire data for its correctness.**

3 After editing and updating the data, the same may be submitted for verification to the Verification Officer who will be the Administrative officer of the concerned Division/Headquarters. For submitting the data for verification, the officer has to go to the 'AGT' module and select 'Message' in drop down. Click on 'Add Message' button, select the concerned verification officer from the drop down menu, type a message requesting for verification and 'Save' the same. If the name of the Administrative Officer is not available in the drop down menu, the matter may be intimated to the Establishment Section of Kochi Commissionerate for updating the same .

4 The Administrative Officers will have to login using their login credentials and the verification requests received can be seen in the 'Verification' drop down menu of 'CCA' module. The requests received should be verified with the data in the service book of the officer for its veracity. If the officer from whom the request has been received is not under his/her charge or the same has not been properly updated, the request can be returned back to the officer. All the Administrative Officers are requested to get their details as well as the forwarding officer (Deputy/Assistant Commissioner of the concerned division/ headquarter) details updated in the verification/forwarding modules.

5 **The submission/verification of personal data and history of postings should be completed latest by 25.01.2024.**

6 After completion of this verification process, the Annual General Transfer module will be activated for the officers for online filing of AGT proforma.

I/1669[redacted]9/2024

7 The officers and staff of Establishment/Systems Sections can be contacted by the officers for seeking support, if needed, for updation of personal data and history of postings.

8 Submitting false/wrong/incomplete data will be viewed seriously. Due diligence may be exercised by the officers in updation of data and the administrative officers while verification of the data.

Signed by
Rani C R
Date: 10-01-2024 11:07:01

(Rani C R)
Additional Commisioner [P&V]

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit, Kochi /Appeals, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **The Principal ADG/ADG, DRI Zonal Unit, Kochi/DGGI Zonal Unit, Kochi/NACIN, Kochi.**

Copy to:

1. **The Additional/ Joint Commissioners of Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive)/Appeals, Kochi Commissionerate**
2. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of Divisions of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **All DDOs of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/Appeals/ Customs (Preventive) Commissionerate**
4. **All Section Heads in Headquarters Office, Kochi**
5. **All General Secretaries of Staff Associations of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
6. **The Superintendent, Systems, Hqrs, Kochi (For uploading in website)**
7. **Hindi Cell (for Hindi version)**
8. **Notice Board, Hqrs. Office, Kochi.**

ANNEXURE

In the Officer Module in the home screen of the application, the following drop down modules are available

(i) Officer

The 'Edit Officer' button can be clicked for editing/entering the data. The 'First Name' field and the 'Last Name' field are mandatory fields. Out of the remaining fields, the following are mandatory.

- Mobile Number
- Designation
- Zone
- Commissionerate
- Division
- Range
- Category
- Cadre
- Home Town

The remaining fields are non-mandatory.

(ii) Personal

The 'Edit Personal' button can be clicked for entering the marital status and employment details of spouse.

(iii) Posting

History of Posting has been migrated from the old data available with the department. The officers have to verify each entry for their correctness and the details can be edited using the 'Edit' button available on the right hand side of each row. The fields viz. Station, Designation, From date, To date, Cadre, Zone, Commissionerate, Division and Range can be edited by the officer. The details of new postings can be added using the 'Add Posting' button. The name 'Migrated' may be appearing in some fields which has not taken data from the old database and the same is to be changed with the correct names as applicable.

(iv) Training

The details of trainings attended can be added using the 'Add Training' button.

(v) Promotion

The details of promotions can be added using the 'Add Promotion' button.

(vi) Awards

The details of awards received can be added using the 'Add Award' button.

(vii) Education

The details of education qualifications can be added using the 'Add Education' button.

I/1686647/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(12)/1/2021-ESTT **Date: 17.01.2024**

TIME BOUND

Sub: Departmental Examination for Confirmation of Direct Recruit Tax Assistants for the year 2023-24- Reg

The next departmental examination for confirmation of Direct Recruit Tax Assistants for the year 2023-24 is scheduled to be held from 18.03.2024 to 20.03.2024. The details of the examination are given below:

Sl. No.	Subject	Max. Marks	Pass Marks	Date	Time
1	Paper I: Customs Law (with books)	100	50	18.03.2024	10:00 to 13:00 Hrs
2	Paper II (B): Central Excise, Service Tax Valuation etc.	100	50	18.03.2024	14:00 to 17:00 Hrs
3	Paper III: Computer application and proficiency in use of internet	100	50	19.03.2024	10:00 to 13:00 Hrs
4	Paper IV: Economic and Commercial Geography and General Knowledge	100	50	19.03.2024	14:00 to 17:00 hrs
5	Paper V: Administration (with books except the Central Civil Services (Conduct) Rules,1964)	100	50	20.03.2024	10:00 to 13:00 Hrs

done 17/01/2024

6	Paper VI: Hindi written Paper-80 Marks Proficiency in Hindi Conversation and Reading- 20 Marks	100	50	20.03.2024	14:00 to 16:00 Hrs

2. The syllabus in detail for each paper is enclosed as Annexure-A to this letter.

3. Direct Recruit Tax Assistants from Kochi Commissionerate & CCO who have not attended/cleared the confirmation examination earlier may submit their written willingness to this Office latest by **02.02.2024. It is informed that no requests for appearing in the examination after the prescribed date will be entertained by this office**.

4. Those candidates who have passed their Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subject are exempted from taking examination in Hindi. Such candidates have to submit their relevant certificates (Xerox copy) along with the application for willingness for exemption. Candidates who do not submit their relevant certificates along with their willingness will not be exempted from Hindi Examination.

Signed by
Bindu C T
Date: 17-01-2024 14:01:01

[C.T. Bindu]
Deputy Commissioner (P&V)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner, Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy/Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, All divisions Kochi Commissionerate for circulating the same to eligible officers.**
2. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Hqrs. Office, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs. Office, Kochi – for uploading in website.**
4. **Notice Board.**